सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

जुलाई 2021 | अंक 02

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

सिविल सेवा परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक समसामयिक पत्रिका

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी
जुलाई 2021 | अंक 02

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्नेहा तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिराज सिंह हरिओम सिंह अंशुमान तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	कृष्ण कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

विषय सूची

- सप्ताह के प्रमुख मुद्दे 1-14
- सप्ताह के चर्चित व्यक्ति 15-18
- सप्ताह के चर्चित स्थान 19-23
- सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24-27
- ब्रेन बूस्टर 28-35
- स्वयं को जाँचें (वस्तुनिष्ठ प्रश्न) 36-40
- स्वयं को जाँचें (विषयनिष्ठ प्रश्न) 41-42

ध्येयIAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सप्ताह के प्रमुख मुद्दे

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- कनाडा और अमेरिका 'हीट वेव' की चपेट में

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विधान परिषद का सृजन
- निपुण भारत कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति और पद विमुक्ति
- मानव तस्करी-रोधी विधेयक का मसौदा
- इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग हुआ तुर्की
- अमेरिका का "चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट (CSPA)"

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)
- बोल्ड परियोजना
- यूनिटी 22
- नदी तट पर बसे शहर और नदी संरक्षण योजनाएं
- रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया
- एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट: हरित धारा

सामान्य अध्ययन-1

भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज

1. कनाडा और अमेरिका 'हीट वेव' की चपेट में

चर्चा का कारण

- कनाडा भीषण गर्मी की चपेट में है, जिसके कारण पिछले पांच वर्षों में अचानक होने वाली मौतों में 195 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले हफ्ते ब्रिटिश कोलंबिया के लिटन में, तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन में पोर्टलैंड शहर में, हाल ही में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
- प्रशांत के उत्तर-पश्चिम और कनाडा के कुछ हिस्सों में बढ़ता तापमान एक हीटवेव का हिस्सा हैं जो 'हीट डोम' नामक एक घटना का परिणाम है।

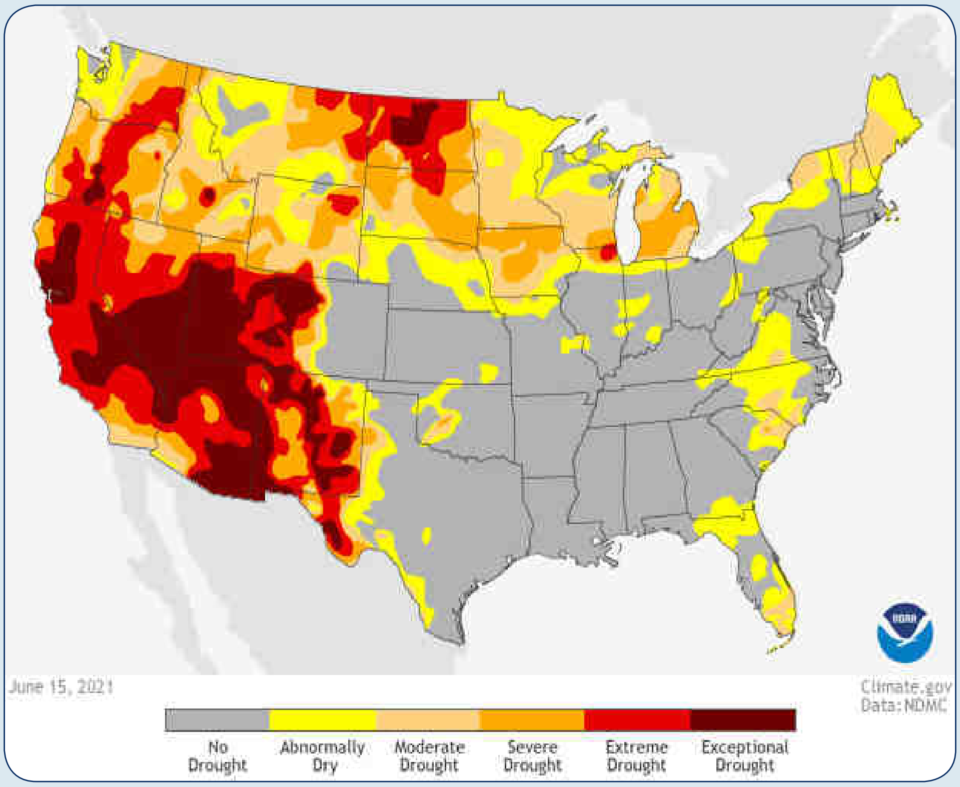

हीट डोम क्या है?

- हीट डोम की घटना तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में एक मजबूत परिवर्तन होता है। संवहन के कारण समुद्र के सतह की गर्म हवा ऊपर उठती है। इस गर्म हवा को वातावरण ढक्कन या टोपी की तरह फंसा लेता है और एक गर्म डोम या गुंबद का निर्माण करता है। अब यह गर्म हवा संवहन प्रक्रिया के द्वारा समुद्र की सतह से ऊपर उठने लगती है।
- इसके बाद ये गर्म हवा पूर्व की ओर जाती हैं, जेट स्ट्रीम की उत्तरी क्षेत्र उस गर्म हवा को फंसा लेती है और इसे जमीन की ओर ले जाती है, जहां यह बिखर जाती है और इसके परिणामस्वरूप हीटवेव कि दशा उत्पन्न होती है।
- कई मौसम वैज्ञानिकों और राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय जैसे अनुसंधान संगठनों का मानना है कि इस हिट डोम का प्रभाव कई सप्ताह तक रहेगा।

हीट डोम के प्रभाव

- उत्तरी अमेरिका और कनाडा में तापमान असहनीय रूप से बढ़ रहा है, जिसके कारण इन क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अचानक मौतें हो रही है।
- गर्मी की चपेट में आने से फसलों को भी नुकसान हो रहा है और सूखे की स्थिति बन सकती है।
- हीट डोम के कारण अमेरिका और कनाडा में कई जगहों के जंगलों में आग लगने की घटनाएँ देखी जा रही है।
- हीट वेव भी ऊर्जा की मांग में वृद्धि की ओर जा रहा है, विशेष रूप से बिजली की मांग में वृद्धि देखी जा रही है।

सामान्य अध्ययन-2

शासन व्यवस्था, संविधान, राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध

1. विधान परिषद का सृजन

चर्चा का कारण

- हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है।

प्रमुख बिन्दु

- यदि पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को केंद्र की राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन मिल जाएगा, तो पश्चिम बंगाल राज्य में 94 सदस्यों (कुल विधानसभा सीटों का एक-तिहाई) वाली विधान परिषद का गठन हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि पहले पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद थी, किन्तु वर्ष 1969 में इस राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर दिया था।
- वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त 6 राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर तथा तेलंगाना) में विधान परिषद अस्तित्त्व में है जबकि शेष 22 राज्यों में एक ही सदन है। विधान परिषद वाले राज्य हैं-

विधान परिषद

- राज्य विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिषद है। यह विधान सभा से कम महत्त्वपूर्ण सदन है।
- राज्यसभा के समान यह भी एक स्थायी सदन है। अतः राज्यपाल इसका विघटन नहीं कर सकता है।
- अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उस राज्य की विधान सभा द्वारा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
- मूल संविधान में अनुच्छेद 168 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि कुछ अधिक जनसंख्या वाले राज्य जैसे आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में विधानमंडल द्विसदनीय होगा तथा शेष राज्यों में एक सदनीय होगा।
- मध्यप्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने समय-समय पर विधान परिषद का गठन किया, किन्तु बाद में कुछ राज्यों ने विधान परिषद् को एक अनुपयोगी सदन मानते हुए इसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया। अतः संसद ने विधि द्वारा 1969 में पंजाब तथा पश्चिम बंगाल की, 1985 में आन्ध्र प्रदेश की तथा 1986 में तमिलनाडु की विधान परिषद को समाप्त कर दिया।
- 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के समय, मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान तो किया गया था किन्तु इसका गठन नहीं किया गया है। 2007 में आन्ध्र प्रदेश में विधान परिषद को पुनः स्थापित किया गया।

विधान परिषद का गठन

- संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की रचना या गठन के बारे में है, इसमें कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी। किन्तु किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक (100) सदस्य हैं।
- अनुच्छेद 171(3) के अनुसार, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होगा:
  - एक तिहाई (1/3) सदस्य स्थानीय निकायों, जैसे-नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं।
  - 1/12 सदस्य उन शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालयों या इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे हों।
  - 1/12 सदस्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जो कम से कम तीन वर्ष से किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हों अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा स्नातक के तुल्य मान लिये गये हों।
  - 1/3 सदस्यों का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- विधान परिषद के शेष सदस्य अर्थात् कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग सदस्य, राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किये जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, अथवा सामाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

विधान परिषद की अवधि

- विधान परिषद एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर उतने ही नये सदस्य निर्वाचित कर लिये जाते हैं।
- इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है। यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण बीच में ही किसी नये सदस्य को निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है तो इसकी सदस्यता बची हुई अवधि के लिए ही होती है, 6 वर्षों के लिए नहीं।

सदस्यों की अर्हताएँ

- संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार, किसी व्यक्ति को विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह:
  1. भारत का नागरिक हो।
  2. 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
  3. ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता हो जो कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हों।
- इसके अतिरिक्त, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की किसी विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए तथा मनोनीत किये जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस विधान परिषद का वह सदस्य बनना चाहता है।

विधान परिषद के पदाधिकारी

- अनुच्छेद 182 के अनुसार, विधान परिषद के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। इन दोनों का चुनाव विधान परिषद अपने सदस्यों में से करती है। इनके अधिकार व कार्य वही हैं जो विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैं। ये पदाधिकारी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। वे एक-दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। अतः सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को तथा उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को भेजता है।
- सभापति या उपसभापति को परिषद् के त्तकालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है, परन्तु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना सभापति या उपसभापति को (जिसे हटाना हो) न दे दी गई हो।

2. निपुण भारत कार्यक्रम

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत को लॉन्च किया।

प्रमुख बिन्दु

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक सर्व सुलभ वातावरण सुनिश्चित करना है। ताकि, हर बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता हासिल कर सके।
- केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तत्वावधान में शुरू किया गया यह मिशन बच्चों को स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में पहुंच प्रदान करने और उन्हें स्कूल में बनाए रखने; शिक्षक क्षमता निर्माण; उच्च गुणवत्ता और विविध छात्र और शिक्षक संसाधन/लर्निंग सामग्री का विकास; और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर रखने के लिए है।
- निपुण भारत का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। शिक्षकों को बुनियादी भाषा के विकास के लिए हर बच्चे की साक्षरता और संख्यात्मक कौशल पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि उन्हें बेहतर पाठकों और लेखकों के रूप में विकसित करने में मदद मिले। इस तरह निपुण भारत ने बुनियादी चरण में ही सीखने के अनुभव को समग्र, एकीकृत, समावेशी, सुखद और आकर्षक बनाने की परिकल्पना की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह निर्धारित किया गया है कि सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना तात्कालिक राष्ट्रीय मिशन बनना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने निपुण भारत के तहत एक व्यापक दिशा-निर्देश विकसित किया है।

क्रियान्वयन

- इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन व्यवस्था करने के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक के प्रमुख तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ प्रशासनिक पहलुओं को शामिल किया गया है।
- निपुण भारत की सफलता मुख्य रूप से शिक्षकों पर निर्भर करेगी। इसलिए शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर विशेष जोर दिया जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा निष्ठा (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement- NISHTHA) के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है और पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक ग्रेड में पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख शिक्षकों को एफएलएन (Foundational Literacy and Numeracy- FLN) पर इस वर्ष प्रशिक्षित किया जाएगा।

निपुण भारत मिशन से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद

- प्राथमिक कौशल बच्चों को कक्षा में रखने में सक्षम बनाते हैं जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को कम किया जा सकता है और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व माध्यमिक चरणों में पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आती है।
- गतिविधि आधारित लर्निंग और सीखने के अनुकूल माहौल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

- खिलौना आधारित और अनुभवात्मक लर्निंग जैसी अभिनव अध्यापन कला कक्षा कार्य में इस्तेमाल की जाएगी जिससे सीखना एक आनंदमय और आकर्षक गतिविधि बनेगी।
- शिक्षकों की सघन क्षमता निर्माण से उन्हें सशक्त बनाया जाएगा और अध्यापन कला चुनने के लिए अधिक स्वायत्ता प्रदान की जाएगी।
- शारीरिक और सामाजिक-भावनात्मक विकास, साक्षरता और संख्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जीवन कौशल आदि जैसे परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके बच्चे का समग्र विकास प्रगति कार्ड में परिलक्षित होगा।
- बच्चे तेजी से सीखने की गति हासिल करेंगे जिसका बाद के जीवन के परिणामों और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
- लगभग हर बच्चा प्रारंभिक ग्रेड में शामिल होता है इसलिए उस स्तर पर ध्यान देने से सामाजिक-आर्थिक अलाभकारी समूह को भी लाभ होगा जिससे समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित होगी।
- इस प्रकार निपुण भारत अपने स्कूलों, शिक्षकों, माता-पिता और समुदायों के साथ-साथ छात्रों को हर संभव तरीके से बच्चों की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए परिकल्पित है।

4. मुख्यमंत्री की नियुक्ति और पद विमुक्ति

चर्चा का कारण

- हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इससे पहले तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए उत्तराखण्ड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

- संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जिसको राज्य विधान सभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो अर्थात् मुख्यमंत्री राज्य विधान सभा में बहुमत दल का नेता हो।
- जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है उसके लिए राज्य विधान मंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है।
- मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

वेतन और भत्ते

- संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मंत्रियों व मुख्यमंत्री को मासिक वेतन तथा भत्ते मिलते हैं जो समय-समय पर विधान मंडल द्वारा निश्चित किये जाते हैं।

शपथ

- प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है।

अवधि

- मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। हालांकि राज्यपाल मुख्यमंत्री; को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो फिर राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री के कार्य

- **मंत्रिपरिषद का निर्माण:** मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का भी अधिकार है।
- **विभागों का विभाजन:** संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री विभागों का विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि संविधान द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है किंतु व्यवहार में वह सदस्यों की योग्यताओं और राजनीतिक महत्व को दृष्टि में रखकर ही विभागों का बंटवारा करता है।
- **मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन:** मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है और यदि मंत्री त्यागपत्र देने से इंकार करता है तो मुख्यमंत्री उसे अपदस्थ करवा सकता है।
- **मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष:** मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष अधिवेशनों की तिथि तय करना तथा उसके लिए कार्य सूची बनाना भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार है।
- **राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी:** मंत्रिपरिषद के निर्णयों की राज्यपाल को सुचना देना मुख्यमंत्री कस संवैधानिक कर्तव्य है (अनुच्छेद 167)। यदि राज्यपाल को किसी प्रशासकीय विभाग के प्रति कोई सुचना प्राप्त करनी है तो वह केवल मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। अतः मुख्यमंत्री दोनों के बीच कड़ी का कार्य करता है।
- **राज्य विधान मंडल का नेता:** मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का ही नहीं बल्कि राज्य विधान मंडल का भी नेता माना जाता है। मुख्यमंत्री को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण विधान मंडल उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता। विधान मंडल में महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष के साथ मिलकर विधान सभा का कार्यक्रम निश्चित करता है। विधान सभा की स्थगित और भंग किये जाने का निर्णय भी मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है।

- **राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता:** मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल उस समय मुख्यमंत्री का परामर्श नहीं लेता जब वह केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अन्य स्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है।
- **नियुक्तियां:** राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। अत: मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक शासक होता है।

अन्य कार्य

- वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
- वह संबन्धित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में एक वर्ष के लिए कार्य करता है।
- वह अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।

5. मानव तस्करी-रोधी विधेयक का मसौदा

चर्चा का कारण

- हाल ही में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने मानव तस्करी विरोधी विधेयक, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 का मसौदा जारी कर सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित कीं हैं। इस विधेयक को संसद में पेश किए जाने से पहले मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
- गौरतलब है कि पिछला मसौदा वर्ष 2018 में पेश किया गया था किन्तु दोनों सदनों के सांसदों और विशेषज्ञों के कड़े विरोध के बाद इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि 2018 में उठाई गई लगभग सभी चिंताओं को इस नए मसौदा विधेयक में संबोधित किया गया है।

विधेयक का उद्देश्य

- इस नए मसौदे ने तस्करी के अपराधों की प्रकृति के साथ-साथ इन अपराधों के पीड़ितों के प्रकार के दायरे को बढ़ा दिया है। अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और सीमा पार तस्करी के निहितार्थों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
- विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाना है। ये कानून पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाने पर जोर देना है।

सजा का प्रावधान एवं महत्व

- मसौदा विधेयक के अनुसार, तस्करी के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम सात साल की जेल होगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दोषी पर कम से कम एक लाख रुपये का और अधिकतम पांच लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
- अवैध व्यापार से धन का उपयोग करके लाई गई संपत्ति को भी विस्तृत प्रावधानों के साथ जब्त किया जा सकता है।
- इसके अलावा, 'तस्करी के गंभीर रूपों' के रूप में वर्गीकृत अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक में संगठित अपराध सिंडिकेटों, संगठित आपराधिक समूहों पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सीमा पार से जुड़े अपराध भी शामिल हैं।
- कुछ मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया जा सकता है। मसौदे में कहा गया है कि जहां एक व्यक्ति को इस धारा के तहत बारह साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ या बलात्कार के उद्देश्य से एक महिला के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया जाता है, उस व्यक्ति को बीस साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, व उसकी सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बार दोषसिद्धि के मामले में तीस लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया सकता है।
- इस विधेयक में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने के साथ-साथ पीड़ितों के रूप में ट्रांसजेंडर या तस्करी के शिकार किसी अन्य व्यक्ति को भी शामिल किया गया हैं। साथ ही जबरन मजदूरी जैसे मामले, जिसमें लोग नौकरी के लालच में दूसरे देशों में चले जाते हैं, जहां उनके पासपोर्ट और दस्तावेज छीनकर उन्हें काम पर लगाया जाता है, भी इस नए कानून के दायरे में आएंगे।

जिला स्तर पर मानव तस्करी रोधी समितियों के गठन की योजना

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी मानव तस्करी की रोकथाम और मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय जांच और समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। एक बार कानून बन जाने के बाद केंद्र इस कानून के सभी प्रावधानों को लागू करवाने के लिए एक राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी समिति को अधिसूचित और स्थापित करेगा।
- इस समिति में तमाम मंत्रालयों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें गृह सचिव अध्यक्ष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव सह-अध्यक्ष होंगे। कानून को धरातल पर उतारने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मानव तस्करी रोधी समितियों का भी गठन किया जाएगा।

भारत में मानव तस्करी विरोधी प्रावधान

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 (1) के अंतर्गत मानव या व्यक्तियों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है।
- अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की रोकथाम का प्रमुख विधान है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में मानव तस्करी के खतरे का प्रतिकार करने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जिनमे अवैध व्यापार सहित शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में बच्चों के यौन शोषण, गुलामी, दासता, या अंगों को जबरन हटाने सहित

किसी भी रूप में शोषण संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

- बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन अपराधों और यौन शोषण से बचाने के लिए विशेष कानून है। इसमें गहन और साधारण यौन उत्पीड़न सहित यौन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों की सटीक परिभाषाएं दी गई हैं।
- महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट विधान हैं जिनमे बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 शामिल हैं और भारतीय दंड संहिता में वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों को बेचने और खरीदने से संबंधित धारा 372 और 373 सहित अन्य विशिष्ट कानून अधिनियमित किए गए हैं।

6. इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग हुआ तुर्की

चर्चा का कारण

- 1 जुलाई 2021 को तुर्की ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए बनी इस्तांबुल कन्वेंशन (Istanbul Convention on Violence Against Women) नामक अंतरराष्ट्रीय संधि से आधिकारिक रूप से खुद को अलग कर लिया है। गौरतलब है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोवान ने अपने देश को इस संधि से अलग करने की घोषणा मार्च 2021 में की थी।

पृष्ठभूमि

- 2011 में इस्तांबुल कन्वेंशन पर वहां के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में ही चर्चा की गई थी और इसका खाका तैयार किया गया था। यूरोपीय संघ से, 34 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। 24 नवंबर, 2011 को तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला देश बना और 8 मार्च 2012 को इसने इस्तांबुल कन्वेंशन को अपने घरेलू कानूनों में शामिल कर लिया था।

इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में

- इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से जानी जाने वाली ये संधि वर्ष 2011 में लागू हुई थी। इसका मकसद तुर्की समेत अन्य देशों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकना और समाज को लैंगिक बराबरी के लिए प्रोत्साहित करना था।
- यूरोप की परिषद ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को रोकने, आरोपियों पर मुकदमा चलाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस्तांबुल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

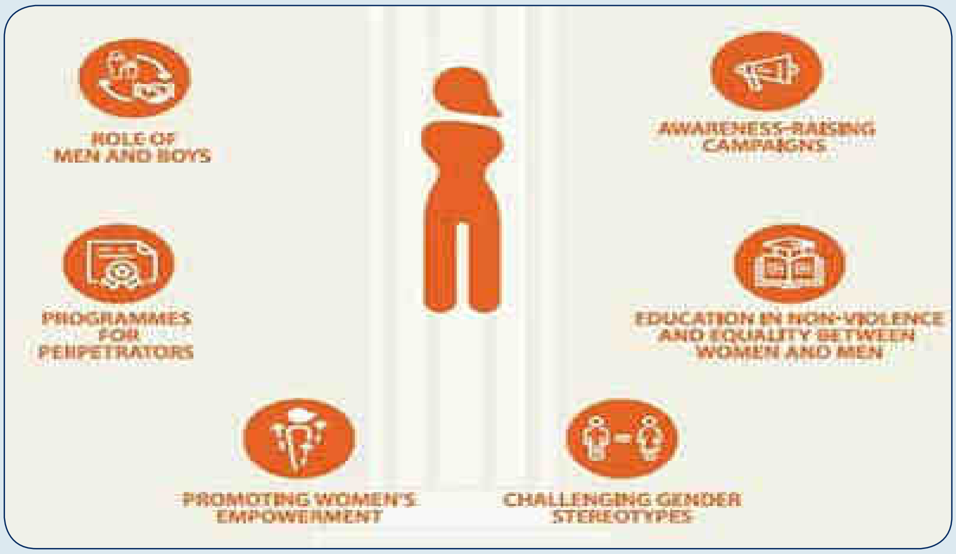

तुर्की के कन्वेंशन से अलग होने के कारण

- आधिकारिक राजपत्र में तुर्की के कन्वेंशन से अलग होने के कारण नहीं दिये गए हैं, लेकिन एर्दोगन की राष्ट्रवादी पार्टी के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि यह कन्वेंशन पारंपरिक पारिवारिक संरचना को कमजोर करता है, तलाक को बढ़ावा देता है और समाज में एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है।
- तुर्की के शीर्ष नेताओं के अनुसार इस संधि से देश के अलग होने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने में कोई भी कानूनी या जमीनी कमी नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त तुर्की के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि उसके स्थानीय कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे।

तुर्की में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या कितनी गंभीर है?

- तुर्की में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और ऑनर किलिंग लगातार जारी है।
- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में तुर्की 156 देशों में से 133 वें स्थान पर काबिज है।
- संयुक्त राष्ट्र महिला (UN women) आंकड़ों के अनुसार, तुर्की में 38 प्रतिशत महिलाओं को अपने जीवनकाल में अपने साथी द्वारा हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- सर्वाधिक चिंतनीय पहलू यह है कि तुर्की सरकार महिलाओं की हत्या पर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखती है।
- KAGIDER (वूमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ तुर्की) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की द्वारा इस कन्वेंशन को छोड़ने से पहले ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा बहुत अधिक थी। वहाँ के लोग चिंतित हैं कि अब तुर्की की महिलाओं के बुनियादी अधिकार और सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएंगे।
- यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब कोविड-19 महामारी के बीच दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ घरेलू हिंसा तेज हो गई है।

7. अमेरिका का "चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट (CSPA)"

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान और 14 अन्य देशों को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट (Child Soldier Recruiter List) में शामिल किया है। यह सूची उन विदेशी सरकारों की पहचान करता है, जिनके पास सरकार समर्थित सशस्त्र समूह हैं और ये समूह बाल सैनिकों/ चाइल्ड सोल्जर की भर्ती करते हैं।

प्रमुख बिन्दु

- यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने 2008 में विलियम विल्बरफोर्स ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एंड रिऑथराइजेशन एक्ट, 2008 (William Wilberforce Trafficking Victims Protection and Reauthorization Act of 2008) में संशोधन के रूप में चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट' (CSPA) को अपनाया। इस अधिनियम में, उन विदेशी सरकारों को चिह्नित किया जाता है, जो सरकार समर्थित सशस्त्र समूह बच्चों की भर्ती करते हों।
- चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट (CSPA) हर साल ट्रैफिकिंग इन पर्सन (TIP) रिपोर्ट जारी करता है, जिनमें उन विदेशी सरकारों की सूची होती है, जहां बच्चों को फौज, पुलिस या सशस्त्र सुरक्षा बलों में भर्ती कराया जा रहा है। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच तैयार रिपोर्ट में पाकिस्तान और तुर्की के नाम शामिल है।
- इसके अतिरिक्त सीएसपीए (CSPA) की 2021 की सूची में अफगानिस्तान, बर्मा (म्यांमार), कांगो, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन के नाम भी शामिल हैं.
- संयुक्त राष्ट्र ने भी युद्ध में बच्चों को प्रभावित करने वाले छह 'गंभीर उल्लंघनों' के रूप में बाल सैनिकों की भर्ती की पहचान की है, और इस प्रकार की भर्तियों से निपटने के लिए कई निगरानी तंत्र और पहल स्थापित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2019 में 7,000 से अधिक बच्चों को बाल सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया और सैन्य अभियानों में इनका इस्तेमाल किया गया।

'बाल सैनिक'

- बाल सैनिक का अर्थ है 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो युद्ध में सीधे भाग लेता है या जिसे सरकारी सशस्त्र बलों, पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों में जबरन भर्ती किया गया हो।
- अमेरिकी सरकार के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, जो सरकार के सशस्त्र बल, पुलिस या अन्य सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा होता है, तो उसे 'बाल सिपाही' (Child Soldier) कहते हैं।
- इसके अतिरिक्त बाल सिपाही' उन किशोरों को भी कहा जाता है जो 15 साल से कम उम्र के होने के बावजूद खाना बनाने, पोर्टर, मैसेंजर, गार्ड या सेक्स गुलाम जैसे कार्य कर रहे हैं।

बाल सैनिक' / 'चाइल्ड सोल्जर के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानून

- बाल सैनिकों के रूप में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भर्ती या उनका उपयोग करना बाल अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of the Child -CRC) और जिनेवा कन्वेंशन (Geneva Conventions) के तहत निषिद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court) द्वारा यह युद्ध अपराध (war crimes) माना जाता है।
- इसके अतिरिक्त सशस्त्र संघर्ष में राज्य या गैर-राज्य सशस्त्र बलों में बाल सैनिकों भर्ती होने या भागीदारी पर सीआरसी (CRC) अंकुश लगाता है।

इस सूची में आने वाले देशों पर प्रतिबंध

- इस सूची में आने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण, रक्षा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के साथ-साथ डिजाइन और निर्माण सेवाओं के लिए विदेशी सैन्य वित्तपोषण व शांति अभियान जैसे कार्यक्रमों में मदद मिलना बंद हो सकता है। इन देशों पर सीधे सैन्य हथियार खरीदने पर भी रोक लग सकती है।

सामान्य अध्ययन-3

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा-प्रबंधन

1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और जापान फेयर ट्रेड कमीशन (जेएफटीसी) के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दी है।

मुख्य बिन्दु

- भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने एवं इसे मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और जापान फेयर ट्रेड कमीशन (जेएफटीसी) के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को मंजूरी दी है।
- इसके तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ तकनीकी सहयोग, अनुभवों को साझा करने और प्रवर्तन संबंधी सहयोग के क्षेत्रों में विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों के जरिए प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- उपर्युक्त स्वीकृत एमओसी, आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए सीसीआई को जापान की अपनी समकक्ष प्रतिस्पर्धा एजेंसी के अनुभवों से सीखने और अनुकरण करने में सक्षम करेगा जिससे उसकी दक्षता बढ़ेगी।
- इसके अलावा, इससे सीसीआई को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 पर बेहतर ढंग से अमल करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे और इसके साथ ही समानता एवं समावेश को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- देश के आर्थिक विकास के मद्देनजर संसद द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को पारित किया गया था।
- इसी अधिनियम के तहत 14 अक्टूबर, 2003 को केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई थी।
- सीसीआई की संरचना में एक अध्यक्ष समेत छह सदस्य शामिल हैं।

सीसीआई से संपर्क एवं शिकायत

- यदि कोई व्यक्ति, कंपनी अथवा उद्यमों का संघ प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, विलय और अधिग्रहण का दुरुपयोग या प्रतिस्पर्धा में बाधा डालता है तो सीसीआई से संपर्क किया जा सकता है।
- यदि कोई निर्माता अथवा सेवा प्रदाता अपने उत्पाद अथवा सेवा की बिक्री पर अनुचित शर्त लगाता है तो उपभोक्ता इसके निवारण के लिए सीसीआई से संपर्क कर सकता है।
- कोई भी व्यक्ति, उपभोक्ता, उपभोक्ता संघ, व्यापार संघ आदि प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते के खिलाफ शिकायत कर सकता है।

सीसीआई के कार्य

- प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, विलय व अधिग्रहण आदि की जांच और नियमन करना।
- सरकार को प्रतिस्पर्धा से संबन्धित मुद्दों पर अपनी राय देना।
- प्रतिस्पर्धा मुद्दों को प्रोत्साहन के साथ-साथ जन जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आयोग के द्वारा स्वंय अपनी जानकारी अथवा ज्ञान के आधार पर जांच शुरु की जा सकती है।
- प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और दुरुपयोग के मामलों में आयोग निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है-
  - प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौते की जांच करके अंतरिम राहत प्रदान करना,
  - उद्यम के संबंध में सकल कारोबार का अधिकतम 10% जुर्माना लगाना,
  - कार्टेल के संबंध में कार्टेल से प्राप्त लाभ की तीन गुना राशि अथवा उद्यम के सकल कारोबार का दस प्रतिशत जुर्माना,
  - मुआवजा प्रदान करवाना,
  - समझौते में सुधार लाना,
- यदि कोई उद्यम प्रभावशाली स्थिति का लाभ उठा रहा है तो केन्द्र सरकार को इसके विभाजन की संस्तुति करना।

सीसीआई के उद्देश्य

- प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना।
- बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
- भारतीय बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

2. बोल्ड परियोजना

चर्चा का कारण

- राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा उदयपुर के आदिवासी गांव निकला मंडवा से एक अनोखी 'BOLD परियोजना' शुरू की गई है।
- इसके लिए विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों- बंबुसा टुल्डा और बंबुसा पॉलीमोर्फा के 5000 पौधों को ग्राम पंचायत की खाली शुष्क भूमि पर लगाया गया है।
- इस तरह खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

'प्रोजेक्ट बोल्ड' के बारें में

- बोल्ड का अर्थ "सूखे की स्थिति में भू-क्षेत्र पर बांस मरु-उद्यान" अर्थात (Bamboo Oasis on Lands in Drought- BOLD) है।
- यह परियोजना 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (KVIC) द्वारा शुरू की गई है।
- यह परियोजना, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खादी बांस महोत्सव का हिस्सा है।
- उद्देश्यः शुष्क और अर्ध-शुष्क भू-क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टियां विकसित करना, मरुस्थलीकरण कम करना और आजीविका एवं बहु-विषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना।

परियोजना में 'बांस' को क्यों चुना गया?

- बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं और लगभग तीन साल की अवधि में उन्हें काटा जा सकता है। बांस को पानी के संरक्षण और भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए भी जाना जाता है, जोकि शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की एक विशेषता होती है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

- KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- आयोग का प्रमुख कार्य, ग्रामीण विकास में लगे अन्य अभिकरणों से समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाते हुए इसे संबंर्धित, संगठित तथा कार्यान्वित करना है।
- यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

3. यूनिटी 22

चर्चा का कारण

- रिचर्ड ब्रैनसन द्वारा स्थापित कंपनी 'वर्जिन गैलेक्टिक', अपने अंतरिक्ष यान 'वीएसएस यूनिटी' (VSS UNITY) एक चालक दल के साथ उड़ान शुरू कर रही है , जिसे स्पेसशिप टू के नाम से भी जाना जा रहा है। इस मिशन का नाम यूनिटी 22 है, जो 'वीएसएस यूनिटी'का 22वां मिशन है।

यूनिटी 22 के बारे में

- 'यूनिटी 22' मिशन के एक भाग के रूप में, 'वर्जिन गैलेक्टिक' द्वारा विकसित 'यूनिटी' रॉकेट यान पर सवार चालक दल सुदूर अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। वर्जिन गैलेक्टिक में 6 यात्रियों तक के लिए सीटें हैं, जिसमें वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन सहित दो पायलटों और चार मिशन विशेषज्ञों का दल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। पहली बार, वर्जिन गेलेक्टिक दुनिया को देखने के लिए पूरे कार्यक्रम का लाइवस्ट्रीमिंग करेगा।
- इस मिशन का उद्देश्य केबिन और ग्राहकों के अनुभव परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ज्ञातव्य है कि वर्जिन गेलेक्टिक द्वारा वर्ष 2022 में वाणिज्यिक सेवा शुरू करने की योजना से पहले, दो अतिरिक्त परीक्षण उड़ाने अंतरिक्ष में भेजी जाएंगी।
- 'वर्जिन गेलेक्टिक' कंपनी का यह प्लेन स्पेसपोर्ट अमेरिका से उड़ान भरेगा और करीब 15 किमी ऊपर जाने के बाद यूनिटी स्पेसक्राफ्ट अलग होगा और उसका रॉकेट इंजिन मैक-3 (यानी 3704.4 किमी/घंटा) की रफ्तार पकड़ेगा।

'यूनिटी 22' का भारत के लिए महत्व

- भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री 'सिरिशा बांडला' (Sirisha Bandla) 'यूनिटी 22' मिशन के चालक दल का हिस्सा होंगी। वह, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला होंगी। सिरिशा ने परड्यू विश्वविद्यालय से एयरोनॉटिकल और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री लेने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। वह 2015 में वर्जिन गैलेक्टिक में शामिल होने से पहले टेक्सास के ग्रीनविले में कमर्शियल स्पेसफ्लाइट फेडरेशन (सीएसएफ) के अंतरिक्ष नीति विभाग की एसोसिएट निदेशक थीं।

4. नदी तट पर बसे शहर और नदी संरक्षण योजनाएं

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के एक नीति दस्तावेज में कहा गया है कि नदी तट पर स्थित शहरों को अपनी मास्टर प्लान तैयार करते समय नदी संरक्षण योजनाओं को शामिल करना होगा।

नीति दस्तावेज के प्रमुख बिन्दु

- नदी-संवेदनशील (river-sensitive) योजनाएं व्यावहारिक होनी चाहिए और अतिक्रमण और भूमि स्वामित्व के मुद्दों कर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
- अतिक्रमणकारी संस्थाओं के लिए एक व्यवस्थित पुनर्वास योजना की आवश्यकता है, जो पुनर्वास रणनीति के अलावा वैकल्पिक आजीविका विकल्पों पर भी जोर देती हो। इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान की तैयारी करने के दौरान योजनाकार को सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय समाधान विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
- नदी और नदी के संसाधनों के संरक्षण और उसके आसपास के क्षेत्र में हरित बफर बनाकर एवं कंक्रीट संरचनाओं को हटाकर 'हरित बुनियादी ढांचे' (green infrastructure) को शुरू करने की आवश्यकता है। हालांकि योजना को लागू करते समय कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए इन क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व का पता लगाना महत्वपूर्ण है।

किन राज्यों के लिए की गयी हैं सिफारिशें?

- नीति दस्तावेज के अनुसार ये सिफारिशें वर्तमान में उन शहरों के लिए की गई हैं, जो गंगा नदी की मुख्य धारा के करीब बसे हुए हैं। इन शहरों में 5 राज्यों - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के 97 शहर शामिल हैं।

तकनीक को अपनाने की आवश्यकता

- नीति दस्तावेज के अनुसार मास्टर प्लान में विशिष्ट तकनीकों को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नदी प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाया जाना चाहिए।

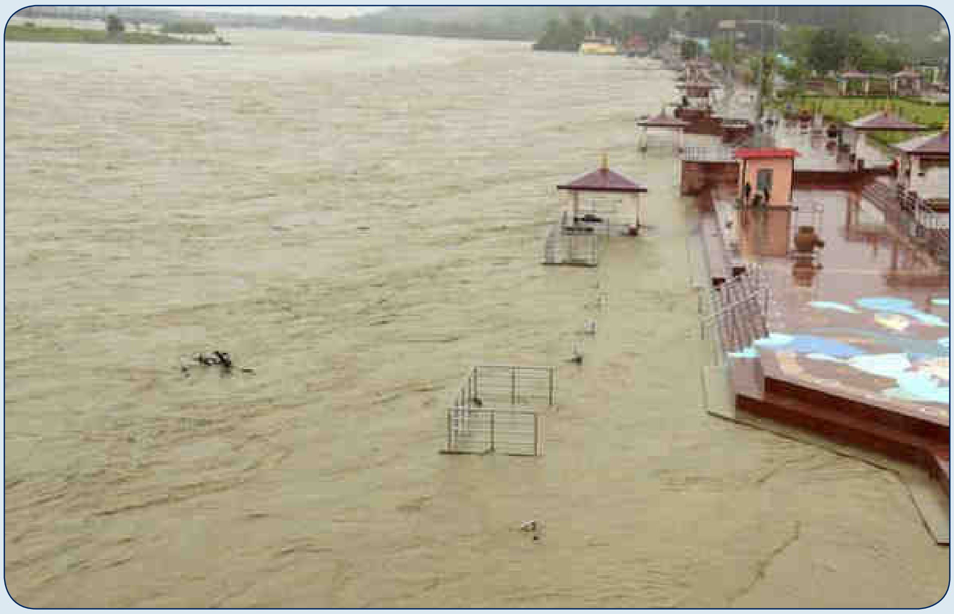

- इसके लिए पानी की गुणवत्ता की उपग्रह आधारित निगरानी, नदी के किनारे जैव विविधता मानचित्रण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग व नदी-स्वास्थ्य निगरानी के लिए डेटा को शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फ्लडप्लेन (floodplain) मैपिंग आदि के लिए मानव रहित हवाई वाहनों (unmanned aerial vehicles-UAV) का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है।

सुझाव

- नीति दस्तावेज के अनुसार गंगा नदी के किनारे मास्टर प्लान बनाने वाले शहरों में इस बात का 'तत्काल विश्लेषण' करना चाहिए कि इन नदी संबन्धित दिशानिर्देशों को किस हद तक अपनाया जा सकता है।
- राज्य, नगर और नियोजन संगठनों को उन नदी शहरों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें इन दिशानिर्देशों को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार इन शहरों के योजना और विकास प्राधिकरणों को एक नदी-केंद्रित मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के लक्ष्य और उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण; एनजीआरबीएद्ध के कार्य संबंधी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga-NMCG)

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय गंगा परिषद के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
- देश में नदियों की सफाई का कार्यक्रम 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ शुरू हुआ था। 1955 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत गंगा एक्शन प्लान का दायरा दूसरी नदियों तक बढ़ा दिया गया।
- इस योजना के तहत नदियों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाता है। इन प्रयासों में नगरों के सीवेज को सीधे नदियों में डालने से रोकना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, रिवरफ्रंट का विकास, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण, लकड़ी के शवदाह गृहों में सुधार आदि शामिल है। योजना का लक्ष्य नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन केवल गंगा की 'निर्मलता' और 'अविरलता' तक ही सीमित नहीं है, इसके तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास एक टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक जोन विकसित करने के लिए 'अर्थ गंगा' पर भी काम किया जा रहा है।

5. रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म

चर्चा का कारण

- कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के कमजोर होते ही कई राज्यों में पाबंदियों में छूट दी गयी,जिससे लोग समुद्र तट, पहाड़ों या रिसॉर्ट की ओर निकल गए। इसके लिए 'रिवेंज ट्रैवल' शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है।

रिवेंज ट्रैवल क्या है?

- रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म, लॉकडाउन के नीरस जीवन से मुक्त होने की इच्छा से उपजा है।
- लॉकडाउन के कारण कई लोग एक तरफ से थक गए हैं और अपने जीवन की कार्यशैली में बदलाव की तलाश कर रहे हैं। वैक्सीन के आने के साथ बहुत से लोग यात्रा को लेकर आशान्वित हैं, इस तथ्य के बावजूद कि अभी तक सभी को टीका नहीं लगाया गया है। एक वर्ष से अधिक समय तक लॉकडाउन में रहने के बाद, खतरे के बावजूद यात्रा करने की यह इच्छा रिवेंज ट्रैवल कहलाती है।
- रिवेंज ट्रैवल की अवधारणा कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें 1980 के दशक की शुरुआत में चीन में देखी जा सकती है, जहां सांस्कृतिक क्रांति (cultural Revolution) के दौरान प्रतिबंधों को हटाए जाने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा 'खर्च' करने की एक विस्फोटक प्रवृत्ति (revenge spending) देखी गई थी। गौरतलब है कि चीन के ग्वांगझू में, एक हर्मेस स्टोर ने पहले दिन €2.4 मिलियन कमाए, जो यह दर्शाता है कि (अमीर) लोग फिर से खर्च करके जीवन का आनंद लेने के लिए उत्सुक हैं।

रिवेंज ट्रैवल के खतरे

- स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भले ही हम महीनों तक लॉकडाउन में रहने से थक चुके हों, लेकिन कोरोना वायरस के साथ ऐसा नहीं है। जानकारों ने तीसरी लहर के लिए लोगों व सरकार को चेताया है, ऐसे में यात्रा करना व कोविड 19-उपयुक्त व्यवहार (COVID-19 -appropriate behaviours) का पालन न करने की प्रवृत्ति बेहद जोखिम भरी हो सकती है, जिससे हालात फिर से बेकाबू हो सकते हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से हाल ही में एक ऑनलाइन सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिकांश भारतीय कोविड 19-उपयुक्त व्यवहार (COVID-19 -appropriate behaviours) का पालन करने में विफल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि लगभग 83 प्रतिशत भारतीय पूरी तरह से कोरोना गाइड लाइन का पालन करने में विफल रहे हैं जबकि 63 प्रतिशत लोग उचित सामाजिक दूरी बनाए नहीं रखते हैं।
- ऐसे परिदृश्य में रिवेंज ट्रैवल करना, अपने आप को खतरे में डालने के बराबर है।

6. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चीन को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया। गौरतलब है कि चीन पिछले सात दशक से इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास में लगा हुआ था।

प्रमुख बिन्दु

- चीन में 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे।
- चीन में पिछले चार सालों में मलेरिया का एक भी मामला सामने नहीं आया है और उसने पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रतिरक्षा का प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया था। विशेषज्ञों ने इस साल मई में मलेरिया मुक्त स्थिति और भविष्य में प्रकोप को रोकने की तैयारियों को सत्यापित करने के लिए देश की यात्रा की थी। विशेषज्ञों द्वारा इन सभी बातों की पुष्टि करने के बाद ही चीन को बीमारी से मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया।

चीन के प्रयास

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन ने दशकों पहले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मलेरिया-रोधी दवाओं का वितरण शुरू किया था। साथ ही मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से कम किया गया और बड़े पैमाने पर मच्छरदानी लोगों को देने की व्यवस्था की गई।
- मलेरिया के लिए एक नया इलाज खोजने के लिए वर्ष 1967 में एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाया गया, जिससे आर्टिमिसिनिन की खोज हुई। आज आर्टिमिसिनिन मलेरिया के इलाज का मुख्य आधार है।
- चीन 1980 के दशक में मलेरिया से बचाव के लिए कीटनाशक वाली मच्छरदानी का बड़े पैमाने पर परीक्षण शुरू करने वाले पहले देशों में से एक है। इन कोशिशों की मदद से 1990 के दशक में मलेरिया के मामले तीन करोड़ से घटकर लगभग 11 लाख हो गए और मौतों में भी लगभग 95 प्रतिशत की गिरावट आई।
- 2003 के बाद से चीन ने इस दिशा में अपनी कोशिश और तेज कर दी, जिसके बाद पीड़ितों की सालाना संख्या 5,000 तक पहुंच गई।

चीन की 1-3-7 रणनीति

- चीन के राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम ने 1-3-7 मानदंड के साथ निगरानी के माध्यम से संक्रामक स्रोतों को ट्रैक करना, और महामारी को दूर करने के लिए प्रतिक्रिया रणनीति को लागू किया।
- मलेरिया निदान की रिपोर्ट करने हेतु (एक दिन), पुष्टि और जोखिम मूल्यांकन (तीन दिन) और आगे बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए (सात दिन) की समय सीमा निर्धारित की गयी।

मलेरिया से मुक्ति के प्रमाण पत्र

- अगर किसी देश में लगातार तीन सालों तक मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप नहीं हुआ है, तो ऐसे देश विश्व स्वास्थ्य संगठन में मलेरिया से मुक्ति के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें यह भी सबूत पेश करने होंगे कि भविष्य में महामारी की स्थिति में उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता है.

मलेरिया का कारक

- मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होती है. मादा ऐनाफेलीज मच्छरों के डंक से ये पैरासाइट इंसानी शरीर में पहुंचते हैं। पांच ऐसे पैरासाइट हैं जो इंसानों में मलेरिया पैदा करते हैं। इनमें से दोख़ पी फैल्सिपैरम और पी वाइवैक्स सबसे खतरनाक हैं।

विश्व में मलेरिया की स्थिति

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक 2019 में विश्व में मलेरिया के 22.9 करोड़ मामले दर्ज हुए। इनमें से 94 फीसदी मामले अफ्रीका से थे।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब तक करीब 40 देश इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 30 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला चीन पहला देश है। हाल ही में दर्जा हासिल करने वाले अन्य देश अल सल्वाडोर, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पराग्वे और उज्बेकिस्तान थे।
- पिछले 10 वर्षों में, एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों ने मलेरिया से होने वाली मौतों और मामलों की संख्या को लगभग आधा कर दिया है और 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि ढाई अरब से अधिक लोग अभी भी जोखिम में हैं और कुछ क्षेत्रों में मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

भारत में मलेरिया की रोकथाम के लिए पहल

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति की है।
- भारत इस बीमारी से प्रभवित वह अकेला देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी के मामलों में 17.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- भारत ने मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बडी गिरावट लाने में भी योगदान किया है यह 20 मिलियन से घटकर करीब 6 मिलियन पर आ गई है। साल 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8 प्रतिशत की गिरावट और मौत के मामलों में 73.9 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- देश में मलेरिया उन्मूलन प्रयास 2015 में शुरू हुए थे और 2016 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन (एनएफएमई) की शुरुआत के बाद इनमें तेजी आई।
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017 से 2022) की शुरुआत की जिसमें अगले पांच साल के लिए रणनीति तैयार की गई।

7. एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंटः हरित धारा

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थान ने 'हरित धारा' (Harit Dhara) नामक एक एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट (anti-methanogenic feed supplement) विकसित किया है।

हरित धारा क्या है?

- जब गायों और भेड़ों को एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट दिया जाता है, तो यह न केवल उनके मीथेन उत्सर्जन में 17-20% की कटौती करता है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन अधिक होता है और शरीर का वजन भी बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, पर्यावरण और पशुपालकों दोनों के लिए फायदे का सौदा है।
- हरित धारा, हाइड्रोजन निर्माण के लिये जिम्मेदार रुमेण (Rumen) में, प्रोटोजोआ रोगाणुओं की आबादी को खत्म करता है और मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की कमी के लिए यह 'आर्किया' (archaea) को उपलब्ध कराता है।
- इसे टैनिन युक्त उष्णकटिबंधीय पौधे से बनाया गया है जो कड़वे और कसैले रासायनिक यौगिक (bitter and astringent chemical compounds) - प्रोटोजोआ को रुमेन से दबाने या हटाने के लिए जाने जाते हैं।
- हरित धारा को देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संघनित और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन-समृद्ध संयंत्र-आधारित स्रोतों का उपयोग करके तैयार किया गया है। हरित धारा की कीमत लगभग 6 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसे केवल तीन महीने से अधिक उम्र के जानवरों को ही खिलाया जाना है।
- हरित धारा सप्लीमेंट का प्रयोग करने के बाद किण्वन (Fermentation) अधिक मात्रा में 'प्रोपियॉनिक अम्ल' (Propionic Acid) का उत्पादन करने में सहायक होता है। यह अम्ल, लैक्टोज (दूध शर्करा) के उत्पादन और शरीर के वजन को बढ़ाने के लिये अधिक ऊर्जा प्रदान करता है।
- हरित धारा को खिलाने से आर्थिक लाभ भी होता है। मीथेन उत्सर्जन से जैविक ऊर्जा की हानि को रोका जा सकता है जिससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी संभव है।
- मवेशियों और भैंसों को 500 ग्राम हरित धारा खिलाने से दूध उत्पादन में 300-400 मिली / पशु / दिन की वृद्धि होगी।

मवेशियों में मीथेन का उत्पादन

- मीथेन का उत्पादन रुमेण वाले जानवरों द्वारा किया जाता है, रुमेण चार कोष्ठ (Stomachs) में से पहला है, जहां मवेशियों द्वारा खाये गए पदार्थ का सेल्यूलोज, फाइबर, स्टार्च और शर्करा का पाचन होता है। आगे पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण से पहले इसे सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित कर दिया जाता है।
- कार्बोहाइड्रेट किण्वन से CO_2 और हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। इनका उपयोग आर्किया

द्वारा सब्सट्रेट (substrate) के रूप में किया जाता है, जो बैक्टीरिया के समान संरचना वाले रुमेण में मीथेन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। जानवरों द्वारा डकार के माध्यम से मीथेन बाहर निकाल दिया जाता है।

मवेशियों द्वारा मीथेन उत्सर्जन

- भारत में एक औसत स्तनपान कराने वाली गाय या भैंस प्रति दिन लगभग 200 लीटर मीथेन का उत्सर्जन करती है, जबकि 85-95 लीटर युवा बछड़े और 20-25 लीटर वयस्क भेड़ इसका उत्सर्जन करती हैं।
- वैश्विक स्तर पर कुल 90 मिलियन टन से अधिक पशुधन में से भारत में बेल्चिंग मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरियां सालाना अनुमानित 9.25 मिलियन टन (mt) से 14.2 उज मीथेन का उत्सर्जन करती हैं।
- मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस बनाती है, जो चिंता का कारण है।

भारत में पशुधन

- 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार 109.85 मिलियन भैंसों, 148.88 मिलियन बकरियों और 74.26 मिलियन भेड़ों के साथ भारत में मवेशियों की आबादी 193.46 मिलियन थी।
- ख बड़े पैमाने पर कृषि अवशेषों - गेहूं / धान के भूसे और मक्का, ज्वार या बाजरा को चारे के रूप में खिलाए जाने के कारण भारत में जुगाली करने वाले पशु अपने समकक्ष औद्योगिक देशों की तुलना में 50-100% अधिक मीथेन का उत्पादन करते हैं, इन देशों में पशुओं को अधिक आसानी से किण्वित / पचने योग्य सांद्रता, साइलेज और हरा चारा दिया जाता है।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित व्यक्ति

स्वामी विवेकानंद

दलाई लामा

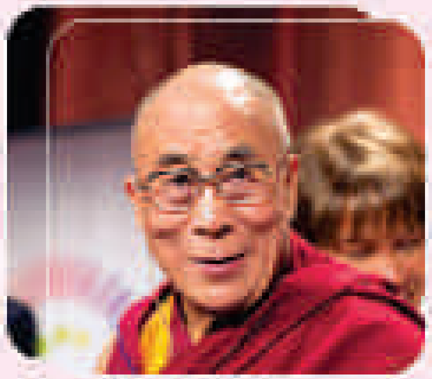

अभिनेता दिलीप कुमार

गुलजारी लाल नंदा

पिंगली वेंकैया

अभिमन्यु मिश्रा

बॉक्सर एम.सी. मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह

1. स्वामी विवेकानंद

- हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई गई है। उल्लेखनीय है कि विश्व में विवेकानंद एक बेहतरीन आध्यात्मिक नेता, प्रभावशाली तथा बौद्धिकता के रूप में विख्यात हैं।

परिचय

- विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 को हुआ और उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शो और विचारों के महत्व को फैलाना है। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने अमरीका के शिकागो की धर्म संसद में 1893 भाग लिया एवं पूरी दुनिया के सामने भारत की मजबूत छवि को प्रस्तुत किया। वर्ष 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया।

महत्वपूर्ण योगदान

- स्वामी विवेकानंदने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया।उन्होंने 'नव-वेदांत' का प्रचार किया, एक पश्चिमी धारा के माध्यम से हिंदू धर्म की व्याख्या और भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास किया। विवेकानंद ने मातृभूमि के उत्थान के लिये शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। मानव हेतु चरित्र-निर्माण की शिक्षा की वकालत की। विशेषरूप से उन्हें वर्ष 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिये गए उनके भाषण के लिये जाना जाता है। सांसारिक सुख और मोह से मोक्ष प्राप्त करने के चार मार्गों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तकों (राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग) में किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को 'आधुनिक भारत का निर्माता' कहा था।

- वह 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे और उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, युवा एवं आदिवासी कल्याण और राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। वर्ष 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो उनका स्थायी निवास बन गया। वर्ष 1902 में बेलूर मठ में उनकी मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है।

2. दलाई लामा

- हाल ही में तिब्बती सर्वोच्च नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा का 86वां जन्मदिन नैनीताल में मनाया गया। इस अवसर तिब्बत की आजादी के लिए दलाई लामा के शांतिपूर्ण व अहिंसक आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

परिचय

- चौदहवें दलाई लामा 'तेनजिन ग्यात्सो' तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरू हैं। उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर-पूर्वी तिब्बत के ताकस्तेर क्षेत्र में हुआ। दो वर्ष की अवस्था में बालक ल्हामो धोण्डुप की पहचान 13 वें दलाई लामा थुबटेन ग्यात्सो के अवतार के रूप में की गई। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर और दलाई लामा के वंशज करूणा, अवलोकेतेश्वर के बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप माने जाते हैं। बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने अपने निर्वाण को टाल दिया हो और मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया हो। उन्हें सम्मान से परमपावन भी कहा जाता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। दलाई लामा के अनुसार उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और धार्मिक सद्भाव का पूरा लाभ लिया और वह प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह मानवता की सेवा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। दलाई लामा का वास्तविक नाम तेनजिन ग्यात्सो है।

जन्म दिन मनाने का तरीका

- दलाई लामा का जन्मदिन तिब्बती समुदाय के सबसे भव्य आयोजनों में से एक है। इस दिन केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, निर्वासित

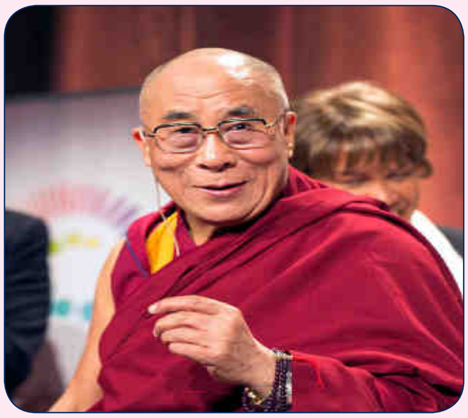

तिब्बती सरकार के गणमान्य व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी, भारत सरकार के प्रतिनिधि और विभिन्न प्रतिष्ठित वैश्विक हस्तियां उनका जन्मदिन मनाने आती थीं। वहीं हर साल दलाई लामा के जन्मदिन पर हिमालय, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के लोग नृत्य, गीत प्रस्तुत करते थे।

3. अभिनेता दिलीप कुमार

- हाल ही में जाने-माने अभिनेता दिलीप कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उल्लेखनीय है कि बुधवार सुबह दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था

परिचय

- गौरतलब है कि दिलीप कुमार का वास्तविक नाम मुहम्मदयुसुफ खान है। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922, किस्सा ख्वानी बाजार, पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। दिलीप कुमार की पहली पत्नी का नाम अस्मा रहमान था और दूसरी पत्नी का नाम सायरा बानू है।

युसुफ खान दिलीप कुमार कैसे बने

- जिस दौर में वे अदाकारी की दुनियां में दाखिल हो रहे थे, उन दिनों अभिनेताओं की 'स्टार इमेज' को मजबूत करने वाले नाम के साथ उनके सिनेमा के पर्दे पर उतरने का चलन था। लिहाजा यूसुफ खान के लिए भी एक 'नए' और 'रोमांटिक' नाम की तजवीज की गई। बॉम्बे टॉकीज की मुखिया देविकारानी ने अंततः यूसुफ खान को 'बॉम्बे टॉकीज' के बैनर तले अमिय चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी 'ज्वार-भाटा' (1944) फिल्म के साथ लोगों के बीच दिलीप कुमार बनाकर पर्दे पर पेश किया।

दिलीप कुमार को सम्मान

- दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वे पद्म विभूषण, पद्म भूषण से भी नवाजे गए थे। उन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'निशान ए इम्तियाज' से नवाजा गया था। वे बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड पाने वाले पहले एक्टर थे। उन्होंने 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड

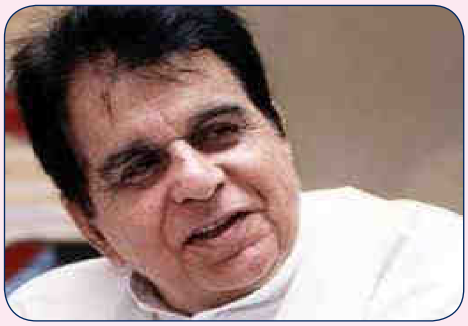

जीते थे। दिलीप कुमार 2000 से 2006 से राज्यसभा सांसद भी रहे थे।

अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार

- 1915 पद्मविभूषण पुरस्कार
- 2008 लाइफ टाइम अचीवमेंट
- 2004 इंडियन सिनेमा अचीवमेंट
- 1995 दादा साहेब फाल्के
- 1993 लाइफ टाइम अचीवमेंट

4. गुलजारी लाल नंदा

- हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की 123वीं जयंती का आयोजन किया गया।

परिचय

- 4 जुलाई, 1898 को सियालकोट (पंजाब) में जन्मे गुलजारी लाल नंदा ने लाहौर, आगरा और इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की।उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय (1920-1921) में श्रम समस्याओं पर एक शोध अध्येता के रूप में काम किया तथा वर्ष 1921 में नेशनल कॉलेज (बॉम्बे) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। इसी वर्ष वे असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए।
- स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिये उन्हें वर्ष 1932, वर्ष 1942 और वर्ष वर्ष 1944 में जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मार्च 1950 में वे उपाध्यक्ष के तौर पर 'योजना आयोग' (वर्तमान नीति आयोग) में शामिल हुए। सितंबर 1951 में उन्हें केंद्र सरकार में योजना मंत्री नियुक्त किया गया। वर्ष 1959 में उन्होंने जिनेवा में आयोजित 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन' में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई, 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके पश्चात्

11 जनवरी, 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एक बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 15 जनवरी, 1998 को अहमदाबाद में उनकी मृत्यु हो गई।

5. पिंगली वेंकैया

- हाल ही में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले प्रसिद्ध स्वयतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया की पुण्य तिथि पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि पिंगली वेंकैया निधन 4 जुलाई, 1963 को हुआ था।

परिचय

- पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त, 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भटाला पेनमरू और मछलीपट्टनम में पूरी हुई तथा 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में सैनिक के

रूप में कार्य किया। इसी युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वे गांधी जी से मिले एवं उनसे काफी प्रभावित हुए। अफ्रीका से लौटने के बाद पिंगली वेंकैया ने अपना अधिकांश समय कृषि और कपास की खेती विषय पर शोध करते हुए बिताया। उन्होंने लाहौर के एंग्लो वैदिक स्कूल में संस्कृत, उर्दू और जापानी का अध्ययन भी किया। वर्ष 1918 तथा वर्ष 1921 के बीच पिंगली वेंकैया ने कॉन्ग्रेस के लगभग प्रत्येक अधिवेशन में एक ध्वज की मांग का आह्वान किया। राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए वर्ष 1921 में राष्ट्रीय काँग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने वेंकैया से नए सिरे से डिजाइन तैयार करने को कहा। प्रारंभ में वेंकैया ने ध्वज में केवल लाल और हरे रंग का ही प्रयोग किया था, जो क्रमशः हिंदू तथा मुसलमान समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। किंतु बाद में इसके केंद्र में एक चरखा और तीसरे रंग (सफेद) को भी शामिल किया गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस द्वारा इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर

अपनाया गया। 4 जुलाई, 1963 को पिंगली वेंकैया की मृत्यु हो गई।

6. अभिमन्यु मिश्रा

- भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बन गये हैं। उन्होंने 2002 में सर्गेई कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 साल और सात महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभिमन्यु ने 12 साल, चार महीने और 25 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की।

परिचय

- अभिमन्यु मिश्रा का जन्म 5 फरवरी, 2009 अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। वे शतरंज इतिहास के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर हैं। अभिमन्यु मिश्रा अमेरिका के न्यू जर्सी में रहते हैं। उन्होंने ने बुडापेस्ट में अपना तीसरा जीएम मानदंड हासिल किया। उन्होंने 15 वर्षीय भारतीय जीएम लियोन ल्यूक मेंडोंका को हराकर नौ राउंड में 2600 से अधिक प्रदर्शन रेटिंग हासिल की, जो एक जीएम मानदंड है।

ग्रैंड मास्टर

- ग्रैंड मास्टर का खिताब वैश्विक शतरंज संगठन FIDE द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह खिताब हासिल करने के लिए 2500 ELO की रेटिंग हासिल करनी पड़ती है।

7. बॉक्सर एम.सी. मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह

- छह बार की वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर एमसी मैरीकॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह इस साल जापान के टोक्यो शहर में होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। इसके अलावा पहलवान बजरंग पूनिया को समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब भारत की तरफ से दो ध्वजवाहक होंगे। ऐसा लैंगिक समानता को आश्नस्त करने के लिए किया गया है।
- ये दोनों खिलाड़ी 23 जुलाई, 2021 को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया (BajrangPunia) ध्वजवाहक होंगे। इस निर्णय के बारे में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति को सूचित किया।रियो डी जनेरियो में 2016 के खेलों में, भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)

- IOC एक गैर-सरकारी खेल संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लौसेन में है। इसका गठन अनुच्छेद 60-79 के अनुसार स्विस नागरिक संहिता के तहत एक संघ के रूप में किया गया था। IOC की

स्थापना 1894 में पियरे डी कूबर्टिन (Pierre de Coubertin) और डेमेट्रियोस विकेलस द्वारा की गई थी। यह प्राधिकरण आधुनिक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। आईओसी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (NOCs) का शासी निकाय है। 2016 तक आईओसी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 206 NOCs हैं।

❖❖❖

सप्ताह के चर्चित स्थान

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्धों का आगमन

लास्ट आइस एरिया

अमेरिका और नाटो सेनाओं कि बगराम एयरबेस से वापसी

मलेशिया में सफेद झण्डा अभियान

बगराम एयरबेस

हैती

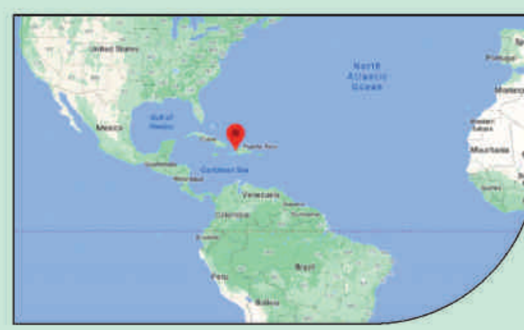

मिस्र और सूडान ने ग्रैंड रेनेसां बांध को लेकर की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील

1. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्धों का आगमन

- हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में 150 गिद्ध देखे गए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखे गए गिद्धों में मिस्र के गिद्ध (नियोफ्रॉन पर्कोनोप्टेरस), ग्रिफॉन गिद्ध (जिप्स फुल्वस), सफेद दुम वाले गिद्ध (जिप्स बेंगालेंसिस) और हिमालयन ग्रिफॉन (जिप्स हिमालयेंसिस) सहित गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां शामिल थीं। इसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा इसे गिद्धों के संरक्षण केंद्र बनाने की योजना जा बनाई जा रही है।

गिद्धों के विलुप्त होने का कारण

- पशुओं में दर्द की दवा के रूप में डायक्लोफेनिक का इस्तेमाल किया जाना गिद्धों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त मानवजनित गतिविधियों के कारण गिद्धों इम प्राकृतिक आवासों का नुकसान पहुंचता है , जैसे- बिजली के खंभे, दूषित खाद्य इत्यादि।
- विदित हो की IUCN रेड लिस्ट में मिस्र के गिद्ध (नियोफ्रॉन पर्कोनोप्टेरस) को संकटग्रस्त, ग्रिफॉन गिद्ध को संकटमुक्त, सफेद दुम वाले गिद्ध को घोर-संकटग्रस्त और हिमालयन ग्रिफॉन को संकट-निकट चिन्हित किया गया है।

गिद्धों के संरक्षण के प्रयास

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश में गिद्धों के संरक्षण के लिये एक 'गिद्ध कार्ययोजना 2020-25' शुरू की गयी है। जिसके अंतर्गत यह डिक्लोफेनाक का न्यूनतम उपयोग और जहां गिद्धों की आबादी विद्यमान है वहाँ 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम' चलये जाएंगे। वर्तमान में देश के उन आठ अलग-अलग स्थानों पर 'गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम' चलाये जा रहे है। देश के कई जगहों पर गिद्धों के संरक्षण के लिए आसपास के ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है कि वे पक्षी पर्यावरण प्रहरी है।

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व

- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है। यह भारत में हिमालयी तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। यह उत्तर भारत के गंगा के मैदानों के जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित जंगल में भाबर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना मार्च 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी।

2. लास्ट आइस एरिया

- हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र में ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित 'लास्ट आइस एरिया' (Last Ice Area- LIA) समय से पहले ही पिघलने लगा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 'लास्ट आइस एरिया' (LIA) का समय से पूर्व पिघलना ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन बताया जा रहा है।
- ग्रीनलैंड के उत्तर में स्थित श्लास्ट आइस एरियाश (LIA), बर्फ पर निर्भर प्रजातियों (यथा-सील और ध्रुवीय भालू आदि) के लिए उत्तम स्थान माना जाता है।
- इस क्षेत्र की बर्फ से पिघलने पर सील और ध्रुवीय भालू आदि जीवों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

आर्कटिक क्षेत्र (Arctic region)

- आर्कटिक पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है।
- आर्कटिक क्षेत्र में आर्कटिक महासागर, अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड (डेनमार्क), आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन के कुछ हिस्से शामिल हैं।
- आर्कटिक क्षेत्र में लगभग वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इससे यहाँ एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है।
- इस क्षेत्र में निवास करने वाले मानव और अन्य जीव-जन्तु यहाँ की बेहद ठंडी स्थितियों के अनुकूल हो गए हैं।

आर्कटिक परिषद

- आर्कटिक परिषद में आर्कटिक क्षेत्र के आस-पास के देश शामिल हैं। आर्कटिक परिषद में सदस्य राज्य के रूप में आठ परिध्रुवीय देश निम्नलिखित हैं- कनाडा, डेन्मार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन तथा अमेरिका।
- आर्कटिक परिषद की स्थापना वर्ष 1996 में 'ओटावा घोषणा' से हुई थी।

- भारत को वर्ष 2013 से आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है।
- भारत के अलावा आर्कटिक परिषद के अन्य पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं - जापान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया।
- आर्कटिक परिषद, आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग, समन्वय और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर शासकीय फोरम है।

3. अमेरिका और नाटो सेनाओं की बगराम एयरबेस से वापसी

- अफगानिस्तान से करीब दो दशकों के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाएं वापस जा रही हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ तालिबान ने अफगानिस्तान में हमले तेज कर दिए हैं।

बगराम एयरबेस और अमेरिका

- बगराम एयरबेस, काबुल से लगभग 60 किमी की दूरी पर स्थित है जहां अमेरिकी सेना और नाटो देशों की सेनाओं का लगभग 2 दशकों तक नियंत्रण था।
- अमेरिकी और तालीबान के बीच सेना की वापसी को लेकर एक समझौता अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के वक्त हुआ था। समझौते के तहत, अफगानिस्तान के विदेशी सेना की वापसी के बदले में तालीबान ने आश्वासन दिया है कि, वो अफगान में किसी भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद संगठन को दाखिल नहीं होने देगा।
- अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस संबंध में अप्रैल के महीने में घोषणा की थी, जिसके बाद से लगातार सेनाओं की वापसी हो रही है। घोषणा के तहत सैनिकों की वापसी के लिए 11 सितंबर की तारीख चुनी गई है , जो अमेरिका पर 9/11 के हमलों की 20वीं सालगिरह होगी।

अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति

- अमेरिकी सेना व नाटो देश कि सेनाओं की वापसी के बाद स्पष्ट हो गया है कि अफगान के सैनिकों को ही तालीबान का सामना करना होगा।
- इस मुद्दे पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने चिंता भी जाहिर थी, जिसे लेकर अमेरिका ने उन्हें हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

- हाल ही में देखा गया है कि अफगानिस्तान में हिंसा अचानक से बढ़ गई है और तालिबान का ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर नियंत्रण बढ़ाता जा रहा है। विदित हो कि तालिबान ने सीमावर्ती प्रांत बदाख्शान में कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान चरमपंथियों के साथ संघर्ष के बाद अफगानिस्तान के एक हजार से अधिक अफगान सैनिक पड़ोसी देश ताजिकिस्तान कि तरफ चले गए।

4. मलेशिया में सफेद झण्डा अभियान

- कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण मलेशिया के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मदद के लिए लोग सफेद रंग के झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। निम्न आय वाले कुछ परिवारों द्वारा तथाकथित "सफेद झंडा अभियान" या #benderaputi मूवमेंट में भाग लेने के रूप में अपने घरों पर सफेद झंडे लहराना शुरू कर दिया है।

सफेद झण्डा अभियान

- ये लोग कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपनी आर्थिक तंगी के संकट को अवगत कराने के लिए यह अभियान चला रहे हैं।
- इस अभियान का उद्देश्य जो लोग खाने की तंगी या फिर किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हों, वे अपने घर के बाहर सफेद झंडा लगाएं। विदित हो की ये झंडा कोई भी सफेद कपड़ा भी हो सकता है, जिसे देखते ही आसपास के लोगों से लेकर सोशल संस्थाएं सतर्क हो जाएंगी और मदद लेकर उस घर तक पहुंचेगी। चूंकि लॉकडाउन में अत्यावश्यक कामों को छोड़कर बाहर निकलना मना है, लिहाजा ये मदद काफी काम की साबित हो रही है।

सफेद झंडा ही क्यों?

- सफेद रंग शांति और युद्धविराम की तरह उपयोग होता है। अगर कोई सफेद झंडा फहराए तो इसका मतलब है कि उसपर आक्रमण नहीं करना है, बल्कि शांति से उसकी बात सुननी है। मलेशिया में सफेद झंडा लोग अपनी जरूरत को दिखाने के लिए अपना रहे हैं।

SOS एप्प का भी इस्तेमाल

- इस एप्प के जरिए मलेशिया में उन फूड बैंकों का पता लग सकता है जो मुफ्त में पौष्टिक खाना पहुंचाते हैं।

- Sos एप्प से केवल सामाजिक संस्थाएं ही नहीं, बल्कि मलेशिया में पेनेंग प्रांत के मछुआरे भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे है। वे ताजा मछलियां जरूरतमदं लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि पोषण मिलता रहे. लेकिन ये सारी मदद उनको ही मिलरही हैं, जो अपने घर के बाहर सफेद झंडा लगाए हुए है।

5. मिस्र और सूडान ने ग्रैंड रेनेसां बांध को लेकर की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील

- हाल ही में मिस्र और सूडान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से नील नदी पर बने ग्रैंड रेनेसां बांध से पानी की उपलब्धता को लेकर इथियोपिया के साथ विवाद के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्तों को अपनाने और एक कानूनी समझौते का आह्वान किया है। हालांकि इथियोपिया ने जोर दिया कि मामले को अफ्रीकी संघ द्वारा सुलझाया जा सकता है।

ग्रैंड रेनेसां बांध परियोजना एवं इससे जुड़ा विवाद

- नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी है। नील नदी अनेक नदियों का मिश्रित स्वरूप है जिसमें वाइट नील नदी (White Nile) एवं ब्लू नील नदी (Blue Nile) प्रमुख है।
- नील नदी का मुख्य जलमार्ग युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र से होकर गुजरता है और इसका जल बेसिन पूर्वी अफ्रीका के कई देशों से होकर गुजरता है, जिसमें इथोपिया भी शामिल है।
- नील नदी कई दशकों से इस नदी के जल पर निर्भर देशों के मध्य विवादों का केंद्र बिंदु है। अफ्रीका में नील नदी का बेसिन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में भी विस्तृत है इस कारण इस नदी के जल का महत्व सभी देशों के लिए बहुत ज्यादा है। नील नदी को लेकर सर्वाधिक विवाद इथोपिया और मिस्र के बीच में है तो वही सूडान को ना चाहते हुए भी इस विवाद में शामिल होना पड़ा।
- इथियोपिया के सरकारी मीडिया की खबरों के अनुसार, ब्लू नील पर बांध का काम 80 प्रतिशत पूरा हो गया है और 2023 से यह पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा जो अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का सातवां सबसे बड़ा पनबिजली संयंत्र होगा।
- मिस्र ने बांध के निर्माण पर लगातार आपत्ति जताई क्योंकि उसका मानना है कि यह नील

नदी के जल प्रवाह को प्रभावित करेगा।
- मिस्र और सूडान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का आह्वान किया और अपने-अपने विदेश मंत्रियों को परिषद की कार्रवाई की अपील के लिए न्यूयॉर्क भेजा है। दोनों देशों ने कहा है कि इथियोपिया के साथ 10 साल से बातचीत विफल रही है। इथियोपिया द्वारा ग्रैंड रेनेसां बांध (जीईआरडी) के निर्माण से निचले तटीय इलाकों में बसे देशों के 15 करोड़ लोगों के "अस्तित्व के लिए खतरा" है।

6. हैती

- हाल ही मे हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मौसे की उनके निजी आवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनकी पत्नी मार्टिनी मौसे गंभीर रूप से घायल हुई। 53 वर्षीय मौसे वर्ष 2017 में राष्ट्रपति बने थे और पिछले दो साल से राजनीतिक अस्थिरता के बीच सरकार चला रहे थे। एक करोड़ दस लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस कैरेबियाई देश में लंबे समय तक अशांति रही है। हिंसा के चलते यहां गरीबी और भुखमरी की समस्या है।

हैती के बारे में

- हैती एक केरिबियन देश है। यह ग्रेटर एल्तिलिअन द्वीपसमूह में हिस्पानिओला द्वीप पर डोमिनिकन गणराज्य के साथ स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटी 'पिक ला सेली' है। इसका कुल क्षेत्रफल 27750 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी 'पोर्ट-अउ-प्रिंस' है तथा केप हाइटीन दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ क्रियोल और फ्रांसीसी

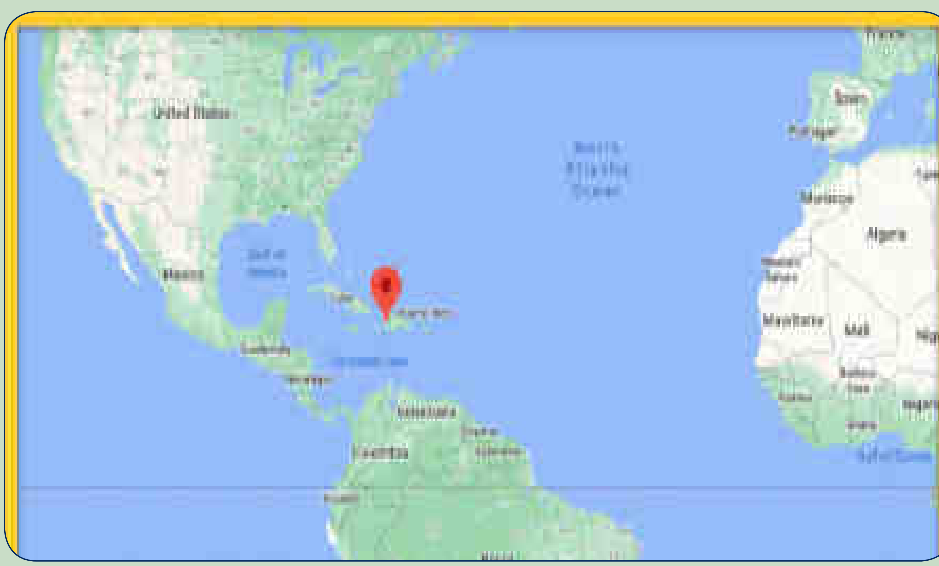

भाषा बोली जाती है। यह लैटिन अमेरिका का पहला स्वतंत्र देश था, उपनिवेशवाद के बाद के दौर का पहला स्वतंत्र देश था, जिसका नेतृत्व किसी काले व्यक्ति के हाथों में था और केवल ऐसा देश जिसकी आजादी एक सफल दास विद्रोह के भाग के रूप में मिली थी।
- धायतव्य है कि हैती के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं हलाकी भारत का व्यापार अभी सीमित ही है लेकिन हाल के वर्षों में भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी हुई है जो कि वर्ष 2018-19 के अंत तक दोनों देशों के मध्य दोतरफा व्यापार 93.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

7. डेनमार्क में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल

- डेनमार्क में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के महल/ किले ने अब नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह 21.6 मीटर ऊंचा (69. 4 फीट) का रेत-महल वर्ष, 2019 में जर्मनी में बने एक रेत महल से 3.5 मीटर लंबा है, जिसने 17.66 मीटर ऊंचाई का पिछला विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

- यह रेत का महल ब्लोखस के छोटे से समुद्र तटीय शहर में 4,860 टन रेत से बनाया गया है। यह शहर डेनमार्क के नॉर्थ जटलैंड में स्थित है।
- डच कलाकार विल्फ्रेड स्टिजर के मार्गदर्शन में, दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकार दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेत के महल के निर्माण कार्य में संलग्न थे।
- दुनिया भर में कोरोना वायरस की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से इस रेत के महल का निर्माण किया गया है।
- इस रेत के महल को एक त्रिभुज के आकार में बनाया गया है ताकि यह नीचे न गिरे। इस रेत के महल के चारों ओर एक लकड़ी की संरचना की मदद से कलाकारों ने इस महल पर आकृतियां तराशने का काम किया।
- इस रेत के महल को फरवरी या मार्च 2022 तक खड़े रहने की संभावना है।

डेनमार्क के बारें में

- डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक (Nordic) देश है। यह सबसे दक्षिणी स्कैंडिनेवियाई देश है जिसमें एक प्रायद्वीप, जटलैंड और 443 नामित द्वीपों का एक द्वीपसमूह शामिल है। इसकी सीमा जर्मनी से लगती है। यह नाटो, नॉर्डिक काउंसिल, OECD, OSCE और संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है।

- डेनमार्क एक विकसित देश है। डेनमार्क के लोगों का जीवन स्तर उच्च है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, लोकतांत्रिक शासन और एलजीबीटी समानता जैसे राष्ट्रीय प्रदर्शन के कई मैट्रिक्स में देश का उच्च स्थान है।

❖❖❖

सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस

फसल बीमा सप्ताह

संयुक्त राज्य का अमेरिका स्वतंत्रता दिवस

विश्व जूनोसिस दिवस

विश्व जनसंख्या दिवस

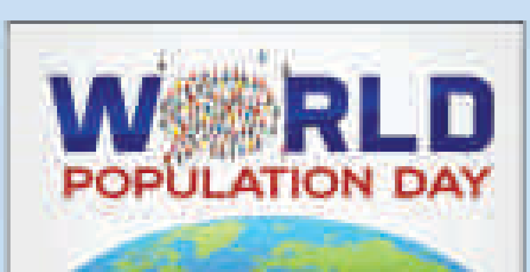

1. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस (International Day of Cooperatives)

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है।
- 2021 का विषय एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण (Rebuild better together) है। दुनिया भर की सहकारी समितियां दिखाएंगी कि कैसे वे एकजुटता और लचीलेपन के साथ COVID-19 महामारी संकट का सामना कर रही हैं और समुदायों को एक जन-केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से ठीक होने की पेशकश कर रही हैं।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राष्ट्र 1923 से हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहा है। सहकारी समितियों को ऐसे संघों और उद्यमों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिनके माध्यम से नागरिक अपने समुदाय और राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ-साथ राजनीतिक उन्नति में योगदान देकर अपने जीवन को प्रभावी ढंग

से बेहतर बना सकते हैं। सहकारी समितियां दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती हैं, जो दुनिया की नियोजित आबादी का 10% है।

2. फसल बीमा सप्ताह (Crop Insurance Week)

- हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा योजना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार की 'आजादी का अमृत महोत्सव' पहल के तहत फसल बीमा योजना के लिए विशेष फसल बीमा सप्ताह (1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2021 तक) की शुरुआत हुई।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धि

- इस योजना के तहत अब तक 16 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा किया गया है। वहीं पांच वर्षों की अवधि में 3 करोड़ से अधिक किसानों ने आवेदनों के द्वारा इस योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा, 20,000 करोड़ रुपये के किसानों की हिस्सेदारी की एवज में 95,000 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' क्या है?

- इस योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में की गई। यह योजना खराब मौसमी परिघटनाओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना में, पूर्ववर्ती 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' (NAIS) और 'संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' (MNAIS) का विलय कर दिया गया है। इस योजना उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।

योजना के अंतर्गत क्या-क्या शामिल है?

- इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक / बागवानी फसलों को शामिल किया गया है जिसके लिए पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध है और जिनके लिए, सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (General Crop Estimation Survey-GCES) के तहत फसल कटाई प्रयोगों (Crop Cutting Experiments- CCEs) का अपेक्षित संख्या संचालन किया जा रहा है।

PMFBY 2.0 के बारे में

- वर्ष 2020 के खरीफ सीजन से सभी किसानों के लिए नामांकन को शत प्रतिशत स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया गया है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के तहत गैर-सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिये 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों

को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के लिये व्यापक छूट प्रदान की गयी है और साथ ही उन्हें बुवाई, स्थानिक आपदा, फसल के दौरान मौसम प्रतिकूलता और फसल के बाद के नुकसान आदि किसी भी अतिरिक्त जोखिम कवर/ सुविधाओं का चयन करने का विकल्प भी दिया गया है।
- संशोधित PMFBY में, एक अतिरिक्त प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें राज्यों द्वारा खरीफ सीजन के लिए 31 मार्च से पहले और रबी सीजन के लिए 30 सितंबर से पहले अपना हिस्सा जारी नहीं करने पर, उन्हें बाद के फसल सीजनों में योजना के तहत भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इस योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किये गए कुल प्रीमियम का 0.5% सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है।

3. संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस

- संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस), अपने स्वतंत्रता दिवस की 245वीं वर्षगांठ मना रहा है। साल 1776 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद से अमेरिका में हर साल 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
- इस दिन दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा की मंजूरी दी थी। जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रेंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, थॉमस जेफरसन, जेम्स मैडिसन और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के संस्थापक पिता के तौर पर माना जाता है। इन सात प्रमुख नेताओं का एक समूह था, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी युद्ध का नेतृत्व किया और इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई।
- 2 जुलाई, 1776 को अमेरिका की 'महाद्विपीय काँग्रेस' (Continental Congress) ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया और दो दिन बाद अर्थात् 4 जुलाई, 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता के घोषणापत्र को अपनाया जो थॉमस जैफरसन (Thomas Jefferson) द्वारा तैयार एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। 'महाद्विपीय काँग्रेस' (Continental Congress) अमेरिका में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक थी जो 'अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध' में एकजुट हुई थी।
- अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध (1775-1783) जिसे संयुक्त राज्य में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है,

ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों के बीच एक सैन्य संघर्ष था जिससे वे उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बने। यह शुरूआती लड़ाई उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में हुई थी। इस युद्ध में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों का साथ फ्राँस ने दिया। जो ग्रेट ब्रिटेन से सप्तवर्षीय युद्ध में हार गया था।

4. विश्व जूनोसिस दिवस

- विश्व जूनोसिस दिवस, ऐसी बीमारियों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो संक्रामक बीमारी है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जूनोसिस ऐसी बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में और फिर मनुष्यों से जानवरों में फैलती है। जब ये बीमारी मनुष्यों से जानवरों में फैलती है तो इसे रिवर्स जूनोसिस कहा जाता है। ऐसी ही बीमारियां इबोला, एवियन इन्फ्लूएंजा और वेस्ट नाइल वायरस जैसे जूनोसिस बीमारियों के खिलाफ पहले टीकाकरण की याद में हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है।

जूनोसिस/जूनोटिक रोग क्या हैं?

- जूनोसिस एक ग्रीक शब्द है जो जून और नोसोस से मिलकर बना है। यहां जून से मतलब पशु या जानवर से है और नोसोस से मतलब बीमारी या रोग से है। हिन्दी में कहा जाये तो जूनोसिस से मतलब पशु जन्य रोग से है।
- ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते है उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जूनोसिस संक्रमण प्रकृति या

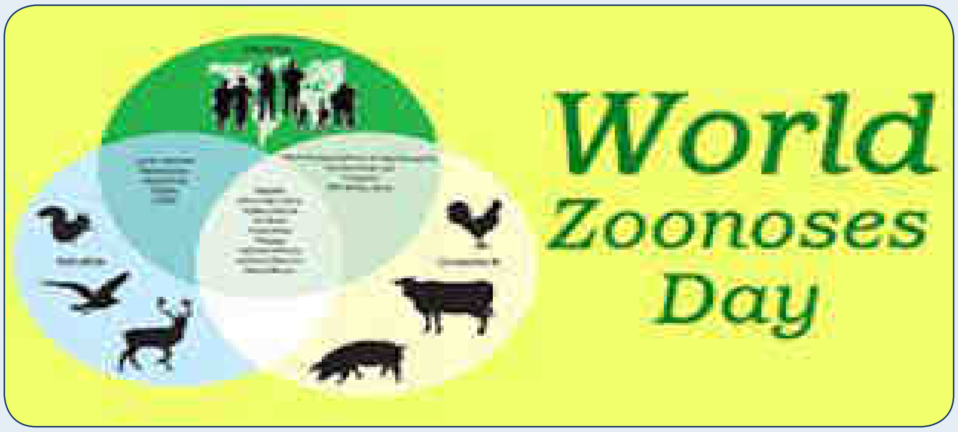

मनुष्यों में जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है।एचआईवी-एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज तथा वर्तमान कोरोनावायरस रोग (COVID-19) जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग हैं।
- वर्तमान में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, निपाह, रेबीज, ब्रूसेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, हुकवार्म, साल्मोनेलोसिस, ग्लैंडर्स, एवियन इन्फ्लूएंजा, वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां जूनोसिस रोग होते हैं। डॉक्टरों की मानें तो दुनियाभर में वर्तमान में 150 से भी ज्यादा जूनोसिस बीमारियां हैं।

पृष्ठभूमि

- प्राचीन समय से ही रेबीज एक जानलेवा घातक बीमार रही है लेकिन जब रेबीज का टीका (वैक्सीन) बनाया गया तो वास्तव में यह मानव के लिए बड़ी उपलब्धि थी। इस वैक्सीन के आविष्कार का श्रेय विशेष रुप से फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर को जाता है। जानकारी के अनुसार लुई पाश्चर ने यह पहला टीका 6 जुलाई 1885 को एक 9 वर्ष के बच्चे जोसेफ मिस्टर को लगाया था। इसलिए 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाने का फैसला किया गया।

5. विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई)

- हर साल 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि

- इस दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। यह 11 जुलाई, 1987 को 'फाइव बिलियन डे' में जनहित से प्रेरित था। इस तारीख को दुनिया की अनुमानित आबादी पांच अरब लोगों तक पहुंच गई थी।

उद्देश्य

- इस दिन के पालन का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों जैसे परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी और मानवाधिकारों के महत्व पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है।

विश्व जनसंख्या दिवस की थीम?

- इस साल विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव है। इस साल यह वैश्विक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन व्यवहार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर अधिक प्रकाश डालने के लिए मनाया जाएगा।

किस तरह मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस?

- इस दिन पूरी दुनिया में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तरह-तरह के उपायों से लोगों को परिचित कराया जाता है। इसके अलावा

परिवार नियोजन के मुद्दे पर भी बातचीत की जाती है। इस दिन जगह-जगह जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों के जरिये लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है, ताकि बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाई जा सके।

❖❖❖

ब्रेन बूस्टर

01 आयुष क्षेत्र के पांच महत्वपूर्ण पोर्टल

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के तहत शोध व चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पांच पोर्टल जारी कर आयुष मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है।

3. आयुष मंत्रालय के बारे में

- आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को, हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य के आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शुरू किया गया था। एक पूर्ण मंत्रालय के रूप में, यह एक वैज्ञानिक तर्क के साथ इन पारंपरिक प्रणालियों के विकास के प्रति एन डी ए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इससे पहले 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग (ISM-H) का गठन इन सभी पद्यतियों के विकास के लिए किया गया। फिर इसे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान देने के साथ नवंबर 2003 में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग के रूप में नामित किया गया था।

2. मुख्य बिन्दु

- ये पोर्टल हैं- सीटीआरआई में आयुर्वेद डेटासेट, अमर (आयुष मैन्यूस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपॉजिटरी), साही (शोकेस ऑफ आयुर्वेद हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स), आरएमआईएस (रिसर्च मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम) और ई-मेधा।
- इन पोर्टलों के जारी होने से अब आयुर्वेद की प्राचीन पांडुलिपियों व ग्रंथों तक पहुंच और उनका डिजिटल माध्यम में रखरखाव, आयुर्वेद में शोध आदि को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिल सकेगा।
- सभी पोर्टल के विकास को आयुष मंत्री ने ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और अहम उपलब्धि बताया और कहा कि इससे पूरे विश्व के साथ भारतीय परंपरागत ज्ञान को साझा करना और अधिक आसान होगा।
- **सीटीआरआई में आयुर्वेद डेटासेट**
  - सीटीआरआई (Clinical Trial Registry of India- CTRI) पोर्टल में इस आयुर्वेदिक डेटासेट के शामिल हो जाने से आयुर्वेद आधारित चिकित्सीय परीक्षणों को दुनिया भर में साख भरी पहचान मिलेगी।
  - सीटीआरआई विश्व स्वास्थ्य संगठन के इंटरनेशनल क्लीनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म के तहत तैयार किया गया क्लीनिकल ट्रायलों का प्राथमिक रजिस्टर है।
  - इसलिए सीटीआरआई में शामिल हुए इस आयुर्वेदिक डेटासेट से आयुर्वेद के क्षेत्र में होने वाले क्लीनिकल ट्रायलों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग वैश्विक स्तर पर मान्य होगा।
- **आरएमआईएस**
  - आईसीएमआर की मदद से सीसीआरएस द्वारा विकसित आरएमआईएस (रिसर्च मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम) पोर्टल आयुर्वेद आधारित पढ़ाई करने वालों तथा शोधार्थियों के लिए बहुत ही मददगार होगा।
  - विषय विशेषज्ञों की मदद से छात्र/शोधार्थी को अपने अध्ययन और शोध में महत्वपूर्ण मदद निशुल्क मिल सकेगी।
- **ई-मेधा**
  - ई-मेधा (electronic Medical Heritage Accession) पोर्टल में नेशनल इन्फार्मेटिक्स संेटर की मदद से ई-ग्रंथालय प्लेटफार्म में संग्रहीत 12000 से भी अधिक भारतीय चिकित्सीय विरासत संबंधी पांडुलिपियों और पुस्तकों का कैटलॉग ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
- **अमर**
  - अमर (Ayush Manuscripts Advanced Repository) पोर्टल एक डिजिटल डैशबोर्ड है जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा से जुड़ी पाण्डुलिपियों के देश-दुनिया में मौजूद खजाने के बारे में जानकारी मौजूद रहेगी।
- **साही**
  - साही (Showcase of Ayurveda Historical Imprints) पोर्टल में पुरा-वानस्पतिक (आर्कियो-बोटैनिकल) जानकारियों, शिलालेखों पर मौजूद उत्कीर्णनों और उच्च स्तरीय पुरातात्विक अध्ययनों की मदद से आयुर्वेद की ऐतिहासिकता के प्रमाण दुनिया के सामने आते रहेंगे।

02 कश्मीरी चेरी के निर्यात को बढ़ावा

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में कश्मीर से मिश्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट दुबई को निर्यात किया गया है। इसमें एपीडा ने भी मदद की है।

2. मुख्य बिन्दु

- बागवानी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कश्मीर घाटी से मिश्री किस्म की स्वादिष्ठ चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट श्रीनगर से दुबई के लिए निर्यात किया गया है। एपीडा ने एमएस देसाई एग्री-फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दुबई के लिए हुए चेरी के इस शिपमेंट में मदद की है।
- शिपमेंट से पहले चेरी को एपीडा से पंजीकृत निर्यातक द्वारा चेरी की तुड़ाई, सफाई और पैकिंग की गई थी, जबकि तकनीकी जानकारी कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
- उल्लेखनीय है कि एपीडा सेब, बादाम, अखरोट, केसर, चावल, ताजे फलों और सब्जियों तथा प्रमाणित जैविक उत्पादों जैसे कृषि उत्पादों की कश्मीर से निर्यात करने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसानों, कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ कार्य कर रहा है।
- इस क्षेत्र से समशीतोष्ण फलों का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर के स्थानीय उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं, एफपीओ और निर्यातकों को शामिल करते हुए वर्चुअल जागरूकता निर्माण कार्यक्रम के अनेक दौर आयोजित किए जा रहे हैं।
- वैश्विक मानकों का पालन करने वाले गुणवत्तायुक्त कृषि उत्पादों का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए एपीडा ने नेशनल जैविक उत्पादन कार्यक्रम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों के लिए आईएसओ-17065 जरूरतों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया है। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य जैविक उत्पादों के साथ-साथ जैविक उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रणाली से परिचित कराना भी है।

3. कश्मीरी चेरी

- मिश्री किस्म की यह चेरी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ विटामिन, खनिज और वनस्पति यौगिक भी भरपूर मात्रा में होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में देश की वाणिज्यिक किस्मों की चेरी के कुल उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन होता है।
- यहां चेरी की चार किस्मों- डबल, मखमली, मिश्री और इटली का मुख्य रूप से उत्पादन होता है।

4. एपीडा के बारे में

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agriculture and Processed Food Products Eñport Development Authority- APEDA) की स्थापना दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- एपीडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक प्राधिकरण है।
- इसे फल, सब्जियों और उनके उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पॉल्ट्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद, शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद, कोको आदि उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसके अतिरिक्त, एपीडा को सभी प्रकार के चॉकलेट, मादक और गैर-मादक पेय, अनाज और अनाज उत्पाद, मूंगफली और अखरोट, अचार, पापड़ और चटनी, ग्वार गम, फूल और फूल उत्पाद, हर्बल और औषधीय पौधे जैसे उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

5. जम्मू और कश्मीर

- जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नमक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया।
- यह राज्य पूर्वत: ब्रिटिश भारत में जम्मू और कश्मीर रियासत नामक शाही रियासत हुआ करता था।
- जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊँचे हिस्सों में स्थित है, और इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है।
- साथ ही जम्मू , कश्मीर और लद्दाख का इलाका अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है।
- यहाँ स्थित वैष्णो देवी तथा अमरनाथ की गुफाएँ हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ का केंद्र रहा है।

03

गुजरात का भालिया गेहूं

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जीआई (भौगोलिक संकेतक) प्रमाणित गुजरात के भालिया गेहूं का निर्यात किया गया है।

2. मुख्य बिन्दु

- गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जीआई (भौगोलिक संकेतक) प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है।
- इस पहल से भारत से गेहूं निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में, भारत से 4034 करोड़ रुपये का गेहूं निर्यात किया गया था, जो कि उसके पहले की वर्ष की तुलना में 808 फीसदी ज्यादा था। उस अवधि में 444 करोड़ रुपये का गेहूं निर्यात किया गया था।
- भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान यमन, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, ईरान, कंबोडिया और म्यांमार जैसे 7 नए देशों को पर्याप्त मात्रा में इस गेहूं का निर्यात किया था।
- जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की इस वित्तीय वर्ष (2021-22) में अधिक निर्यात होने की संभावना है।

3. भालिया गेहूं के बारे में

- इस जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है।
- जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की फसल प्रमुख रुप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा की जाती है। भाल क्षेत्र में अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच आदि जिले शामिल हैं।
- इस गेहूं की किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है और गुजरात में लगभग दो लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में इसकी खेती की जाती है।
- गेहूं की भालिया किस्म को जुलाई, 2011 में जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था। जीआई प्रमाणीकरण का पंजीकृत प्रोपराइटर आणंद कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात है।

4. भौगोलिक संकेतक क्या है?

- भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडीकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- दूसरे शब्दों में भौगोलिक चिन्ह या संकेत (जीआई) का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा चिन्ह, जो वस्तुओं की पहचान, जैसे कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं, एक देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है, जहां उक्त वस्तुओं की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषताएं इसके भौगोलिक उद्भव में अनिवार्यतः योगदान देती हैं। यह दो प्रकार के होते हैं-
  - पहले प्रकार में वे भौगोलिक नाम हैं जो उत्पाद के उद्भव के स्थान का नाम बताते हैं जैसे शैम्पेन, दार्जीलिंग आदि।
  - दूसरे हैं गैर-भौगोलिक पारम्परिक नाम, जो यह बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबद्ध है जैसे अल्फांसो, बासमती, रोसोगुल्ला आदि।
- जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

5. जीआई टैग से लाभ

- जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है।
- जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है।
- जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है।
- इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

6. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक निम्न को जीआई टैग दिया जा सकता है

- कृषि उत्पादों; जैसे चावल, जीरा, हल्दी, नींबू आदि।
- खाद्यान्न वस्तुओं; जैसे रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद आदि।
- वाइन और स्पिरिट पेय; जैसे शैम्पेन और गोआ के एल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी आदि।
- हस्तशिल्प वस्तुएं (हैंडीक्राफ्ट्स); जैसे मैसूर सिल्क, कांचीवरम सिल्क तथा इसके साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियां (टेराकोटा) और औद्योगिक उत्पाद।

04

सहकारिता मंत्रालय

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट फेरबदल से पहले एक नया "सहकारिता मंत्रालय" (Ministry of Cooperation) बनाने की घोषणा की।

2. सहकारिता मंत्रालय के उद्देश्य

- भारत सरकार ने 'सहकार से समृद्धि' के स्वप्न को साकार करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया है।
- यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा।
- यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जनभागीदारी आधारित आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा।
- हमारे देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है जहां प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करता है।
- यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'कारोबार में सुगमता' के लिए प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा।
- केंद्र सरकार ने समुदाय आधारित विकासात्मक भागीदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन भी वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को पूरा करता है।

3. सहकारिता के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सहकारिता सहकारी व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।
- सहकारी समितियाँ कई प्रकार की होती हैं जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति, उत्पादक सहकारी समिति, ऋण सहकारी समिति, आवास सहकारी समिति और विपणन सहकारी समिति।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था।
- भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसने विश्व के सबसे बड़े सहकारी आंदोलन की नींव रखी।
- भारत में एक सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है जहाँ प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है।

4. संवैधानिक प्रावधान क्या है?

- संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXA (नगरपालिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा।
- संविधान के भाग-III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(ब) में 'यूनियन (Union) और एसोसिएशन (Association)' के बाद 'सहकारिता' (Cooperative) शब्द जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर सहकारी समितियाँ बनाने में सक्षम बनाता है।
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy-भाग IV) में 'सहकारी समितियों के प्रचार' के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43ठ जोड़ा गया था।

5. सहकारिता आंदोलन के बारे में

- किसी खास व समान उद्देश्य को लेकर अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा मिलकर प्रयास करना ही सहकारिता कहलाता है।
- वहीं किसी खास व समान उद्देश्य को लेकर अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर निर्मित की गई संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं।
- वर्तमान में भारत में सहकारिता का सबसे अच्छा उदाहरण सहकारी समितियां हैं।
- हालांकि भारत में सहकारिता आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से ही चल रहा था, किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात इस आंदोलन ने भारत में तेज गति पकड़ी। आज भारत में लाखों सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं।

05 फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटी (Freight smart city) के लिये योजना को सामने रखा है।

2. प्रमुख बिन्दु

- इस योजना के तहत शुरू में सरकार 10 शहरों को फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। अगले चरण में 75 शहरों तक विस्तारित करने की योजना है, जिसके बाद इसका विस्तार पूरे देश में किया जायेगा जिसमें सभी राज्यों की राजधानियों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल होंगे। हालांकि शहरों की चुनी जाने वाली सूची को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जायेगा।
- उल्लेखनीय है कि बढ़ते शहरीकरण के साथ, ई-कॉमर्स और इसमें सामान की उत्पादन केंद्रों से ग्राहक तक आवाजाही सहित तेज आर्थिक विकास की जरूरतें; भारतीय शहरों में बढ़ती भीड़-भाड़, शोर और ध्वनि प्रदूषण एक संकट हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर रहा है। इसलिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने शहरों में माल ढुलाई गतिविधियों को सुधारने के लिये योजनाबद्ध तरीके से काम करने का फैसला किया है।
- इसके अलावा, यह भी अनुमान है कि शहरी माल ढुलाई की मांग अगले 10 वर्षों में 140 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में भारतीय शहरों में ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के अंतिम चरण में माल ढुलाई गतिविधियों की लागत भारत की बढ़ती ई-कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला की कुल लागत का 50 प्रतिशत है। इसलिए शहरों के लॉजिस्टिक्स में सुधार माल ढुलाई गतिविधियों को और भी बेहतर बनायेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा।

3. फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल के बारे में

- फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल के तहत शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्स समितियों का गठन किया जायेगा। इन समितियों में संबंधित सरकारी विभाग और स्थानीय स्तर की एजेंसियां, राज्य और प्रतिक्रिया देने वाले केंद्रीय मंत्रालय और एजेंसियां शामिल होंगी। इनमें लॉजिस्टिक्स सेवाओं से जुड़ा निजी क्षेत्र और साथ ही लॉजिस्टिक्स सेवाओं के उपयोगकर्ता भी शामिल होंगे। ये समितियां स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारने के उपायों को लागू करने के लिए मिल जुल कर शहर की लॉजिस्टिक्स योजनाओं को तैयार करेंगी।
- फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल (Freight smart city initiatives) के तहत निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की जाएंगी-
  - फ्रेट सेंटर,
  - रात के समय डिलीवरी,
  - ट्रक रूट,
  - इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम
  - आधुनिक तकनीकों का उपयोग,
  - शहरी माल ढुलाई में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना,
  - पार्सल डिलीवरी टर्मिनल।

4. स्मार्ट सिटीज मिशन

- भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart City Mission) की शुरुवात की थी। स्मार्ट सिटीज मिशन भारत में 100 शहरों के निर्माण के लिए एक शहरी विकास योजना है। स्मार्ट शहरों में उनकी सबसे अधिक जरूरतों वाली वस्तुओ और जीवन को बेहतर बनाने के बड़े अवसरों पर ध्यान किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उन शहरों को बढ़ावा दिया गयाहै जो कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और 'स्मार्ट 'समाधानों के उपयोग के लिए एक सभ्य गुणवत्ता प्रदान करते हैं।

06 मंगल ग्रह पर 'असतत् औरोरा' (Discrete Aurora) की घटना

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में होप अंतरिक्षयान ने मंगल ग्रह पर 'असतत् औरोरा' (Discrete Aurora) की घटना को कैप्चर किया है।

2. प्रमुख बिन्दु

- होप अंतरिक्षयान, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लांच किया गया था। हाल ही में इस अंतरिक्षयान ने मंगल ग्रह पर 'असतत् औरोरा' (Discrete Aurora) की घटना को कैप्चर किया है।
- 'असतत् औरोरा' (Discrete Aurora) की खगोलीय घटना मंगल ग्रह के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस घटना के समय रात के दौरान आकाश में चमकती वायुमंडलीय रोशनी की छवियों को देखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि औरोरा (Aurora) की घटना पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर भी देखी जाती है। औरोरा (Aurora) आकाश में एक प्रकाश दीप्ति की घटना है।
- पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर औरोरा (Aurora) की घटना में हरा, लाल, नीला, बैंगनी, गुलाबी और सफेद आदि रंग दिख सकते हैं।
- पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर औरोरा (Aurora) की घटना, यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि जिस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा , वहाँ औरोरा (Aurora) की घटना देखने को मिलेगी।
- हालांकि मंगल ग्रह पर 'असतत् औरोरा' (Discrete Aurora) की घटना देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लगभग अनुपस्थित है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि होप अंतरिक्षयान द्वारा हाल ही में मंगल ग्रह पर 'असतत् औरोरा' (Discrete Aurora) की घटना को कैप्चर किए जाने से यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटाई जा सकेंगी।

3. मंगल ग्रह पर भेजे गए महत्वपूर्ण मिशन एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- 1971 में USSR मंगल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था हालाँकि इसका 'मार्स 3' लैंडर विफल हो गया था।
- मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाला दूसरा देश अमेरिका है। 1976 के बाद से, इसने कई सफल मार्स लैंडिंग की जिसमें नवीनतम वर्ष 2019 का 'इनसाइट' मार्स मिशन और वर्ष 2020 का मार्स रोवर परसिवरेंस (Mars Perseverance rover) है। मार्स रोवर परसिवरेंस ने हाल ही में मंगल ग्रह पर साफ्ट लैंडिंग की है।
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को रखने में सक्षम हो गई है।
- भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM) या मंगलयान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था, इसे नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। भारत अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र है और उसने पहले प्रयास में ही ऐसा किया था।
- संयुक्त अरब अमीरात ने भी 'होप मंगल मिशन' (Hope Mars Mission) को वर्ष 2020 में मंगल ग्रह के लिए लांच किया था। इसी मिशन ने हाल ही में इस मंगल ग्रह पर 'असतत् औरोरा' (Discrete Aurora) की घटना को कैप्चर किया है।
- चीन ने 23 जुलाई, 2020 को 'तिआनवेन-1' नामक मंगल ग्रह के लिये जो मिशन भेजा था। 'तिआनवेन-1' मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर था।

07 ब्लैक पैंथर

1. चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व (NNTR) में ब्लैक पैंथर (Black Panther) को देखा गया है।

2. ब्लैक पैंथर के बारे में

- ब्लैक पैंथर, एक दुर्लभ तेंदुआ है। इसे मेलानिस्टिक तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है।
- ब्लैक पैंथर के शरीर पर काले रंग के गुच्छे में फर/बाल पाए जाते हैं। इसके शरीर पर काले रंग के आवरण का कारण अप्रभावी एलील (Recessive Alleles) की उपस्थिति का होना है।
- भारत में ब्लैक पैंथर दक्षिणी राज्यों (यथा- कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र आदि) में पाया जाता है।
- ब्लैक पैंथर को आईयूसीएन (IUCN) की रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) कैटेगरी में रखा गया है।
- इसके अलावा, इसे साइट्स (CITES) की 'परिशिष्ट I' में रखा गया है।
- वहीं भारत सरकार ने ब्लैक पैंथर को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की 'अनुसूची I' के तहत उच्च संरक्षण दिया हुआ है।

3. नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व

- नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व (Navegaon&Nagzira Tiger Reserve- NNTR), महाराष्ट्र राज्य में है।
- नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व को वर्ष 2013 में भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- इस टाइगर रिजर्व में देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है।

4. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972

- इसे भारतीय संसद ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में पारित किया था।
- इस अधिनियम का मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना है।
- वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था।

5. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (The International Union For Conservation Of Nature- IUCN) दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिये एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी।
- आईयूसीएन सरकारों तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ है। इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड में स्थित है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) का घोषित लक्ष्य, विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची (रेड लिस्ट) प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है।

6. साइट्स (CITES) क्या हैं?

- वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (The Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora- CITES), विभिन्न देशों के बीच एक बहुपक्षीय संधि या समझौता है।
- इसके माध्यम से वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाई जाती है।
- यह बहुपक्षीय संधि 1 जुलाई, 1975 से लागू है। वर्तमान में साइट्स (CITES) के 183 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है।

स्वयं को जाँचें
(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

1. विधानपरिषद का सृजन

प्र. विधान परिषद का सृजन या विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है।
2. संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की रचना या गठन के बारे में है,
3. विधान परिषद एक स्थायी सदन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

2. नदी तट पर बसे शहर और नदी संरक्षण योजनाएं

प्र. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga-NMCG) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय गंगा परिषद के कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है।
2. इसकी स्थापना वर्ष 2015 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी।
3. देश में नदियों की सफाई का कार्यक्रम 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ शुरू हुआ था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (A)

3. रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म

प्र. रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. रिवेंज ट्रैवल या रिवेंज टूरिज्म, लॉकडाउन के नीरस जीवन से मुक्त होने की इच्छा से उपजा है।
2. लॉकडाउन के कारण कई लोग एकरसता से थक गए हैं और अपने जीवन की कार्यशैली में बदलाव की तलाश कर रहे हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

4. निपुण भारत कार्यक्रम

प्र. निपुण भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक सर्व सुलभ वातावरण सुनिश्चित करना है।
2. हर बच्चा वर्ष 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता हासिल कर सके।
3. निपुण भारत का उद्देश्य 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

5. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया

प्र. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन मलेरिया मुक्त घोषित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. मलेरिया के लिए एक नया इलाज खोजने के लिए वर्ष 1967 में एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाया गया, जिससे आर्टिमिसिनिन की खोज हुई।
2. आज आर्टिमिसिनिन मलेरिया के इलाज का मुख्य आधार है।
3. चीन 1980 के दशक में मलेरिया से बचाव के लिए कीटनाशक वाली मच्छरदानी का बड़े पैमाने पर परीक्षण शुरू करने वाले पहले देशों में से एक है।
4. चीन के राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम ने 1-3-7 मानदंड के साथ 'निगरानी के माध्यम से संक्रामक स्रोतों को ट्रैक करना, और महामारी को दूर करने के लिए प्रतिक्रिया' रणनीति को लागू किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) उपर्युक्त सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

6. एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट: हरित धारा

प्र. एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट: हरित धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. जब गायों और भेड़ों को एंटी-मिथेनोजेनिक फीडसप्लीमेंट दिया जाता है, तो यह न केवल उनके मीथेन उत्सर्जन में 17-20% की कटौती करता है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप दूध का उत्पादन अधिक होता है और शरीर का वजन भी बढ़ता है।
2. यह पर्यावरण और पशुपालकों दोनों के लिए फायदे का सौदा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2

Ans: (C)

7. मुख्यमंत्री की नियुक्ति और पदविमुक्ति

प्र. मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. संविधान के अनुच्छेद 164के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
2. राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जिसको राज्य विधान सभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो अर्थात् मुख्यमंत्री राज्य विधान सभा में बहुमत दल का नेता हो।
3. मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अधिकारी होता है।
4. मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियाँ की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3 और 4
(C) उपर्युक्त सभी
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

8. मानव तस्करी-रोधी विधेयक का मसौदा

प्र. मानव तस्करी-रोधी विधेयक का मसौदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस नए मसौदे ने तस्करी के अपराधों की प्रकृति के साथ-साथ इन अपराधों के पीड़ितों के प्रकार के दायरे को घटा दिया है।
2. अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और सीमा पार तस्करी के निहितार्थों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
3. विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (B)

9. इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग हुआ तुर्की

प्र. इस्तांबुल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. इस्तांरबुल कन्वेंशन के नाम से जानी जाने वाली ये संधि वर्ष 2011 में लागू हुई थी।
2. इसका मकसद तुर्की समेत अन्य् देशों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकना और समाज को लैंगिक बराबरी के लिए प्रोत्साहित करना था।
3. यूरोप की परिषद ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को रोकने, आरोपियों पर मुकदमा चलाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस्तांबुल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

10. अमेरिका का “चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट (CSPA)”

प्र. अमेरिका काचाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट (CSPA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने 2008 में विलियम विल्बर फोर्स ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एंड रिऑथराइजेशन एक्ट, 2008 में संशोधन के रूप में चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट' (CSPA) को अपनाया।
2. इस अधिनियम में, उन विदेशी सरकारों को चिह्नित किया जाता है, जो सरकार समर्थित सशस्त्र समूह बच्चों की भर्ती करते हों।
3. चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट (CSPA) हर साल ट्रैफिकिंग इन पर्सन (TIP) रिपोर्ट जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

11. यूनिटी 22

प्र. यूनिटी 22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. ‘यूनिटी 22’ मिशन के एक भाग के रूप में, ‘वर्जिनग ेलेक्टिक’ द्वारा विकसित ‘यूनिटी’ रॉकेट यान पर सवार चालक दल सुदूर अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा।
2. वर्जिनगेलेक्टिक में 6 यात्रियों तक के लिए सीटें हैं, जिसमें वर्जिनग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रेन सन सहित दो पायलटों और चार मिशन विशेषज्ञों का दल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे।
3. पहली बार, वर्जिनगेलेक्टिक दुनिया को देखने के लिए पूरे कार्यक्रम कालाइवस्ट्रीमिंग करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

12. बोल्ड परियोजना

प्र. बोल्ड परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. बोल्ड का अर्थ “सूखे की स्थिति में भू-क्षेत्र पर बांस मरु-उद्यान” है।
2. यह परियोजना ‘खादी और ग्रामोद्योग आयोग’ (KVIC) द्वारा शुरू की गई है।
3. यह परियोजना, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खादी बांस महोत्सव का हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

13. कनाडा और अमेरिका भीषण गर्मी की चपेट में

प्र. हीट डोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. हीटडोम की घटना तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में एक मजबूत परिवर्तन होता है।
2. संवहन नामक प्रक्रिया में, ढाल समुद्र की सतह से ऊपर उठने के लिए अधिक गर्म हवा का कारण बनती है, जो समुद्र की सतह से गर्म होती है।
3. इस गर्म हवा को वातावरण ढक्कन या टोपी की तरह फंसा लेता है और एक गर्म डोम यागुंबद का निर्माण करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं ?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

14. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

प्र. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

1. देश के आर्थिक विकास के मद्दे नजर संसद द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को पारित किया गया था।
2. इसी अधिनियम के तहत 14 अक्टूबर, 2003 को केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई थी।
3. सीसीआई की संरचना में एक अध्यक्ष समेत छह सदस्य शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से कथन सही है / हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) 1, 2 और 3

(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans: (C)

❖❖❖

स्वयं को जाँचें
(विषयनिष्ठ प्रश्न)

01 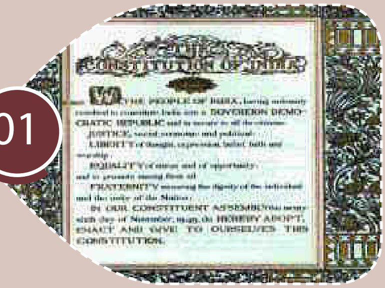

04

09

01 विधान परिषद का सृजन तथा विघटन का विस्तार से चर्चा कीजिये।

02 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नदी प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाया जाना चाहिए?

03 रिवेंजट्रैवल क्या है? इसने किस प्रकार लोगों के जीवन को प्रभावित किया है? उपयुक्त तर्क प्रस्तुत कीजिये।

04 निपुण भारत कार्यक्रम आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक सर्व सुलभ वातावरण सुनिश्चित करने में कितना कारगर शाबित होगा? मूल्यांकन कीजिये

05 चीन की 1-3-7 रणनीति क्या है? ये किस प्रकार मलेरिया उन्नमुलन में सहायक सिद्ध हुआ है? परीक्षण कीजिये।

06 एंटी-मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट: हरित धारा किस प्रकार पर्यावरण के लिए उपयोगी है? जांच कीजिये।

07 भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति और पद विमुक्ति की प्रक्रिया का विस्तार से चर्चा कीजिये।

08 हाल ही में महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने मानव तस्करी विरोधी विधेयक, व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021का मसौदा जारी किया है। यह किस प्रकार मानव तस्करी की रोक-थाम में सहायक है? चर्चा कीजिये।

09 इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है? क्या यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल है? विश्लेषण कीजिये।

10 अमेरिका का "चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट (CSPA)" की चर्चा करते हुए ये बताए की यह युद्ध में बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करता है?

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR- 8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

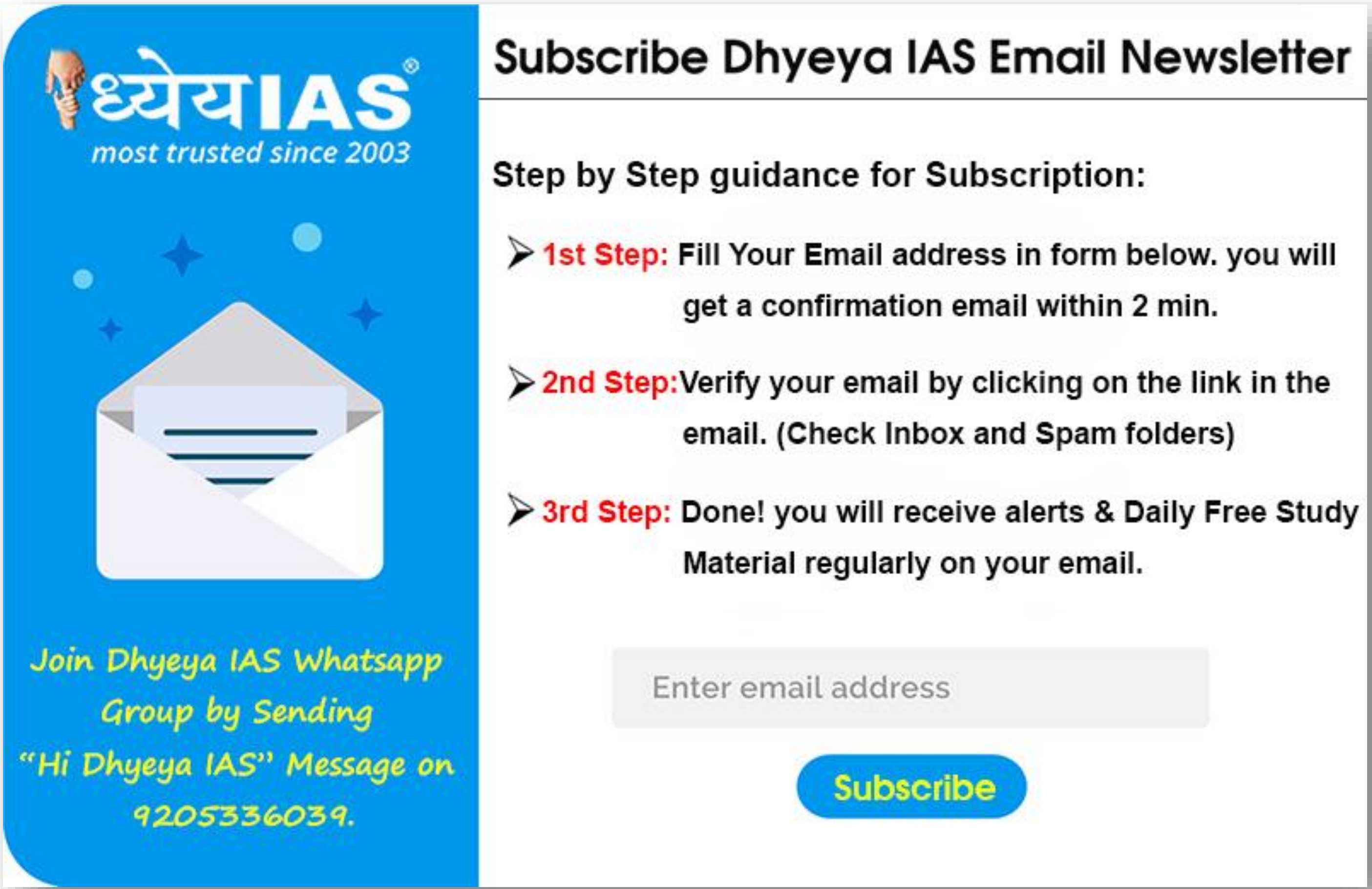

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com